بسم اللہ الرحمن الرحیم
والصلوٰۃ والسلام علیٰ حبیبہ الکریم
وآلہٖ واصحابہٖ اجمعین

जश्ने मीलादुन्नबी ﷺ से मुतअल्लिक़ चंद शुब्हात का इज़ाला

(अहादीस व आसार और ग़ैर मुक़ल्लिद उलमा
के अक़्वाल की रौशनी में)

माहे रबीउल अव्वल के रूहानी मौक़े पर
जामिआ अशरफिया की जानिब से इल्मी पेशकश

मुरत्तिब :

मौलाना मुहम्मद आरिफ अशरफी निज़ामी

उस्ताज़ जामिआ अशरफिया, कोंढवा, पूना
ख़तीब बारा इमाम मस्जिद, पूना
रूक्न अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर, हैद्राबाद, शाख़ पूना

नाशिर

जामिआ अशरफिया हुस्सामिया शेख़ सलाहुद्दीन,

कोंढवा, पुणे

जुमला हुकूक बहक़्क़े नाशिर महफ़ूज़

नाम किताब : **जश्ने मीलादुन्नबी ﷺ से मुतअल्लिक़ चंद शुब्हात का इज़ाला**
(अहादीस व आसार और ग़ैर मुक़ल्लिद उलमा के अक़्वाल की रौशनी में)

मुरत्तिब : **मौलाना मोहम्मद आरिफ़ अशरफ़ी निज़ामी**

नाशिर : जामिआ अशरफिया हुस्सामिया शेख सलाहुद्दिन, पुणे

तबाअ्त : कलर ग्राफिक्स मोब: 9021190822

कव्हर डिझाईनिंग व कंपोझिंग : उमैर बाग़वान व अज़हर मिर्ज़ा

सफहात : ५२ सफहात

ऍडिशन : अव्वल (बरोज़ बुध १० रबीउल अव्वल २३ जनवरी २०१३)

तअ्दादे इशाअ्त : १००० (एक हज़ार)

किताब मिलने के पते

* जामिआ अशरफिया हुस्सामिया शेख सलाहुद्दिन, कोंढवा, पुणे
  Mob: 9226720499
* जामे मस्जिद, कॅम्प, पुणे
  Mob: 9766254766
* बारा इमाम मस्जिद, नज़्द मामलेदार कचेहरी,पुणे
  Mob: 9028899921
* रौशन मस्जिद, दुल्हा दुल्हन कब्रस्तान, भवानी पेठ, पुणे
  Mob: 9028135235
* जामे मस्जिद, खड़की, पुणे
  Mob: 7387002311
* अल्फ़ज़ल चिकन सेंटर, घोरपडे पेठ, पुणे
  Mob: 7385442272

इन्तेसाब

मादरे इल्मी जामिआ निज़ामिया के बानी
हक़ाईक़ आग़ाह, मआरिफ दस्तगाह, फज़ीलत जंग,
उस्ताज़े सलातीने आसिफीया,
शैखुल इस्लाम वल्मुस्लिमीन
इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारुकी कुद्दिससिर्रुहु
के नाम
जिनके इल्मी और रुहानी फैज़ान ने
लाखों करोड़ों दिलों को इश्के रसुल ﷺ का नुर अता किया।

एअतेराफ

गुज़िश्ता की तरह ये भी ''किताबिस्तान'' से जमा करके
तरतीब दिया हुवा एक ''गुलदस्ता'' है।
इसके मुंदरजात से मुतअल्लिक किसी भी क़िस्म के
शुब्हे के इज़ाले या तसहीह के लिए
बज़रीया ई–मेल राब्ता फरमायें।

ई–मेल: **jamiaashrafiyapune.@gmail.com**

इदारे की दिगर किताबों का आप बज़रीये इंटरनेट भी मुतालेआ कर सकते हैं।
जामिआ अशरफीया की वेबसाईट: **www.jamiaashrafiyapune.com**

फेहरिस्त

नं.	उनवान	सफह नं.
१.	जश्ने मीलाद बिदअ़त नहीं सुन्नत व मुस्तहब है	५
२.	जश्ने मीलाद की असल कुरआन मजीद से	७
३.	जश्ने मीलाद की असल हदीस से	९
४.	''कुल्लु बिद्अतिन दलालह्'' का सही मफहुम	१२
५.	हुज़ूर का किसी काम को न करना उसके हराम व बिदअ़त होने की दलील नहीं	१३
६.	तर्के अमल की चंद वुजूहात	१४
७.	''हर छोडे हुऐ अमल'' के हराम न होने..	१५
८.	सहाबा का न करना किसी चीज़ के हराम व बिदअत होने की दलील नहीं	१६
९.	मजालिसे ज़िक्रे शरीफ का जाएज़ होना	१७
१०.	जश्ने मीलाद बिद्अत नहीं ''इज्तेहाद''	१८
११.	शैख इब्ने तैमिया का मशवरा व तंबीह	१८
१२.	कुछ ऐसे जलसे,जुलूस जिन्हें बिदअत नहीं कहा जाता	१९
१३.	जश्ने मीलाद के आगाज़ के सिललिसे में अकवाल	२०
१४.	जश्ने मीलाद फातमी शीयों की ईजाद नहीं	२०
१५.	बादशाह मुज़फ्फरुद्दीन की शख़्सियत	२१
१६.	शैख उमर बिन मोहम्मद अलमल्ला का तआरूफ	२५
१७.	सुलतान मलिक शाह सलजूकी और मीलाद	२७
१८.	मीलाद की खुशी मनाने पर अजर	२८
१९.	अबुलहब के अज़ाब में तख़फीफ वाली हदीस	२८

नं.	उनवान	सफह नं.
१.	हदीसे मुरसल की हुज्जियत पर अक़्वाल	३०
२.	बाज़ ख़्वाबों का दुरूस्त होना कुरआन से	३२
३.	ग़ैरे नबी के ख़्वाब की सेहत पर अहादीस	३२
४.	हालते कुफ्र में सुनी हुई हदीस का हुक्म	३३
५.	तख़फीफे अज़ाब पर अइम्मा की तस्रीहात	३५
६.	तख़फीफे अज़ाब पर वहाबी उलमा के अक़्वाल	३८
७.	इन्अेक़ादे मीलाद पर अज्र और शैख़ इब्ने तैमिया	३९
८.	मीलाद और अकाबिरे देवबंद व ग़ैर मुक़ल्लिद उलमा	४०
९.	मीलाद पर उलमा की चंद किताबों के नाम	४२
१०.	१२ रबीउल अव्वल ही यौमे विलादत है	४३
११.	१२ रबीउल अव्वल को यौमे विलादत कहने वाले उलमा	४४
१२.	तारीख़े विसाल से मुतअल्लिक़ इख़्तेलाफ	४६
१३.	ग़म ना करने से मुतअल्लिक़ अक़्वाल	४७
१४.	ज़िंदा नबी का ग़म क्यों मनाएँ?	४८
१५.	ईदैन के इलावा अय्याम पर लफ्ज़े ईद का इत्लाक़	४९
१६.	मीलाद के क़ाइल अस्लाफ से मुतअल्लिक़ शुबह का इज़ाला	५०
१७.	ईदे मीलादुन्नबी किस तरह मनाएँ?	५१
१८.	जुलूस निकालने वाली तंज़ीमों व शुरकाए जुलूस से गुज़ारिशात व हिदायात	५१

***

शुबह नंबर १ : **जश्ने मीलाद बिद्अत है।**

शुबह का इज़ाला : **जश्ने मीलाद बिद्अत नहीं सुन्नत व मुस्तहब है।**

(अहले हदीस उलमा की तअ्रीफाते बिद्अत की रौशनी में)

१. शैख़ इब्ने तैमिया :

وما خالف النصوص، فهو بدعة باتفاق المسلمين ومالم يعلم انّه خالفها فقد لايسمّى بدعةً.

● शैख़ इब्ने तैमिया लिखते हैं जो नई बात नुसूस (क़ुरआन व हदीस) के मुख़ालिफ हो वो मुसलमानों के इत्तेफाक़ व इज्माअ् से बिद्अत है। और जो नई बात क़ुरआन व हदीस से ना टकराए वो बिद्अत नहीं।
(फतावा इब्ने तैमिया फिल्फिक़्ह : ११/२०)

२. अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ :
(साबिक़ मुफ्तीए आज़म सऊदी अरब)

امّا البدعة الدينية فهى كل ما احدث فى الدين مضاهاة لتشريع الله تعالىٰ

● बिद्अते दीनी, दीन में दाख़िल हर उस नए अमल को कहते है। जो अल्लाह की शरीअत के मुख़ालिफ हो।
(फतावा लिलज्नतिद्दाईमह लिल् बुहूसिल् इलमिय्यह वल इफ्ता २/३२९)

३. अब्दुर रहमान मुबारकपूरी : (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम)

المراد بالبدعة ما احدث ممالااصل له فى الشريعة يدلّ عليه وامّا ما كان له اصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعاً.

● बिद्अत से मुराद वो नया अमल है जिसकी शरीअत में कोई ऐसी असल ना हो जो इस पर दलालत करे। और अगर इस नए अमल पर दलालत करने वाली कोई असल शरीअत में है तो इस अमल को शरअन् बिद्अत नहीं कहा जाएगा।
(तुह्फतुल् अह्वज़ी ३/३७८)

४. नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली (ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम) का क़ौल शेख वहीदुज़्ज़माँ (ग़ैर मुक़ल्लिद) ने अपनी किताब ''हद्यतुल् महदी'' में लिखा है:

البدعة الضلالة المحرمة التى ترفع السنة مثلها والتى لا ترفع شيئا منها فليست هى من البدعة بل هى مباح الاصل.

● हराम और गुमराह कुन बिद्अत वो है जिसकी वजह से कोई सुन्नत मतरूक हो जाए और जिस बिद्अत से किसी सुन्नत का तर्क ना हो वो बिद्अत नहीं बल्के वो अपनी असल में मुबाह (जाएज़) है।
(हद्यतुल् महदी ११८/११७)

इन तअ्रीफाते बिद्अत की रौशनी में बिद्अते दलालह की हक़ीक़ी सूरत यूँ सामने आती है के :
'हर वो नया अमल बिद्अते द़लालह है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माना-ए-मुबारक में ना था। बाद में आया। और
- वो कुरआन व हदीस के मुख़ालिफ व बिलमुक़ाबिल हो'
- उसकी कोई असल शरीअत में ना हो
- उसकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व स ल्लम की कोई सुन्नत तर्क (छूट) हो रही हो।

और अगर इन तीनों बातों में से कोई बात इस नए अमल में ना पाई जाए तो इस अमल को बिद्अत नहीं कहा जाएगा।
चूँके मअ्मूलाते ईद-ए-मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम
१. कुरआन व हदीस के मुख़ालिफ नहीं,
२. और इन मअ्मूलात की असल कुरआन व हदीस में हैं,
३. और इनकी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत तर्क नहीं हो रही है बल्के ज़िंदा हो रही है इसलिए इन मअ्मूलात को बिद्अत नहीं कहा जा सकता।
चूँके इसकी असल कुरआन व हदीस में है और उसके बेशुमार दीनी व तब्लीग़ी फवाइद है इस लिए ये सुन्नत व मुस्तहब के दर्जे में है।

जश्ने मीलाद की असल क़ुरआने मजीद से

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوْا هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ

तर्जमा : फरमा दीजिए अल्लाह के फ़ज़्ल और उसकी रहमत पर मुसलमानों को चाहिए के वो ख़ुशियाँ मनाएँ ये उस (सारे माल व दौलत) से कहीं बेहतर है जिसे वो जमा करते हैं। (सूरे यूनुस, आयत ५८)

शुबह नं. २ : इस आयत से जश्ने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं क्योंके किसी मुफस्सिर ने इस आयत में फ़ज़्लुल्लाह और रहमत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी को मुराद नहीं लिया है।

शुबह का इज़ाला : ये ग़लतबयानी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फज़्लुल्लाह से इल्म और रहमत से ज़ाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम को मुराद लिया है।

१. तफ्सीर रूहुल मआनी सूरे यूनुस आयत नं. ५८ की तफ्सीर में है:

واخرج ابوالشیخ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان الفضل العلم والرحمۃ محمد ﷺ

(मश्हूर मुहद्दिस) अबू शेख ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा का क़ौल नक़ल किया है के फज़्लुल्लाह से इल्म और रहमत से ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुराद है।

२. तफ्सीर दुर्रे मन्सूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ख़तीब बग़दादी और इमाम इब्ने असाकिर के हवाले से लिखा है के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मुराद लिया है। (तफ्सीर दुर्रे मन्सूर : ४/३६८)

३. इमाम उन्दलुसी ने भी ये क़ौल नक़ल किया है।
(तफ्सीर अल्बहरूल मुहीत : जि. ५, स.१७१)

४. इमाम इब्ने जौज़ी से भी यही मन्कूल है। (तफ्सीर ज़ादुल मसीर, जि.४, ४०)

हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रहमत होने पर किसी ईमान वाले को एअ्तेराज़ नहीं होना चाहिए।

शैख़ अशरफ अली थानवी ने लिखा है : ''बिला इख़्तेलाफ हुज़ूर अलैहिस्सलाम, अल्लाह तआला की सबसे बडी नेअ्मत और उसका कामिल तरीन फज़्ल हैं इसलिए इस आयते मुबारका से بدلالۃ النص ये भी मुराद लिया जा सकता है के यहाँ रहमत और फज़्ल से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलाम हैं जिनकी विलादत पर अल्लाह तआला ख़ुशी मनाने का हुक्म दे रहा है।'' आगे चल कर

उस पर दीगर क़ुरआनी आयात से इस्तेदलाल करने के बाद कहते हैं :

''इस मक़ाम पर हरचंद के आयत के सबाक़ (पिछले हिस्से) पर नज़र करने के एतेबार से क़ुरआन मजीद मुराद है लेकिन अगर मआनी आम लिए जाएँ के क़ुरआन मजीद भी इसका एक फर्द रहे तो ज़्यादा बेहतर है वो ये के फ़ज़्ल व रहमत से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का क़ुदूमे मुबारक (आमद) लिया जाए।

इस तफ्सीर के मुवाफिक़ जितनी नेअ्मतें और रहमतें हैं ख़्वाह वो दीनी हों या दुनियवी और इनमें क़ुरआन भी है सब इसमें दाख़िल हो जाएँगी। इसलिए के हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वजूदे बाजूद असल है तमाम नेअ्मतों की और माद्दा है तमाम रहमतों और फज़्ल का। पस ये तफ्सीर अज्मउत-तफासीर हो जाएगी। पस इस तफ्सीर की बिना पर हासिल आयत का ये होगा के ''हमें हक़ तआला इरशाद फरमा रहे हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वुजूदे बा जूद पर ख़्वाह 'वुजूदे नूरी हो या विलादते ज़ाहिरी' इस पर ख़ुश होना चाहिए इसलिए के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे लिए नेअ्मतों का वास्ता हैं।

(दूसरी तमाम नेअ्मतों के इलावा) अफज़ल नेअ्मत और बडी दौलत ईमान है जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से हमको पहोंचना बिल्कुल ज़ाहिर है। पस ऐसी ज़ाते बा बरकात के वुजूद पर जिस क़द्र भी ख़ुशी और फरहत हो कम है। (मीलाद पर एअ्तेराज़ात के मुदल्लल जवाबात सफहा २३, बहवाला मजमूआ-ए-ख़ुत्बात बनाम मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम १२०/१२१, मतबुआ जमीली कुतुबख़ाना, लाहौर)

शुबह नं. ३ : आयत को जिस मअ्ना पर अस्लाफ ने महमूल नहीं किया उस पर महमूल करना ग़लत है। (यानी आयत का जो मअ्ना उन्होंने बयान किया है उसी मअ्ना को मुराद लेना चाहिये)

शुबह का इज़ाला : ये कोई ज़ाब्ता नहीं है। वरना दीन व शरीअत का मुअत्तल होना लाज़िम आएगा। बहोत से हवादिसात व वाक़ेआत जो अस्लाफ के दौर में नहीं थे उनका हुक्म क्या है? उसे कैसे साबित किया जाएगा? क्या क़ुरआन में तदब्बुर (ग़ौर व फिक्र) का हुक्म सिर्फ अस्लाफ के लिए ही था?

ये बात कोई इल्म वाला नहीं कह सकता क्योंके क़ुरआन में तदब्बुर का हुक्म ता क़ियामत अहले इल्म के लिए है।

इमाम कुर्तुबी ने बाज़ अहले इल्म का क़ौल नक़ल करते हुए दलाइल के साथ रद्द किया है। लिखते हैं :

''बाज़ अहले इल्म ने कहा के तफसीर सिमाअ् (सुनने) पर मौक़ूफ है चूँके

अल्लाह तआला का इरशाद है अगर तुम्हारा किसी मुआमले में झगडा हो जाए तो अल्लाह व रसूल से रूजूअ् करो।''

ये क़ौल फासिद है। क़ुरआन की तफसीर सिमाअ् पर ही मौक़ूफ है बातिल है क्योंके सहाबा किराम से मरवी तफसीरों में इख़्तेलाफ पाया जाता है और जो कुछ उन्होंने बयान किया वो तमाम नबी करीम से मन्क़ूल नहीं था। (यानी सहाबा किराम ने सिर्फ हुज़ूर से सुनी हुई तफ्सीर ही बयान नहीं की बल्के खुद से भी ग़ौर व फिक्र करके तफ्सीर की)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ फरमाई के ऐ अल्लाह ! उसे दीन में बसीरत दे और किताब की तावील का इल्म अता फरमा। अगर क़ुरआन की तरह तावील और तफ्सीर का मामला सिमाई होता तो इस दुआ का क्या फायदा? और ये निहायत वाज़ेह है और इसमें कोई इश्काल (पेचीदगी) नहीं।

(अल-जामिउ लि-अहकामिल क़ुरआन, जि.१, स.२६)

बल्के ज़ाब्ता ये है के अस्लाफ ने जो मअ्ना-ए-आयत बयान किया है उसके मुख़ालिफ मअ्ना क़ुबूल नहीं किया जाएगा।

अव्वल तो अस्लाफ में से तर्जमानुल क़ुरआन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का क़ौल गुज़र चुका के रहमत से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। अगर बिलफर्ज़ ये किसी का क़ौल ना भी होता तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक मुराद लेने में कोई हर्ज नहीं क्योंके इससे अस्लाफ की बयानकर्दा तफसीर की मुख़ालफत लाज़िम नहीं आती।

ईद-मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की असल हदीस से

इमाम जलालुद्दीन सुयूती इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी का क़ौल नक़ल फरमाते हैं :

وقد سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عن عمل المولد فاجاب بما نصه... وقد ظهرلی تخريجها علی اصل ثابت وهو ماثبت فی الصحيحين من النبی ﷺ لما قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشورا فسئلهم فقالوا هو يوم اغرق الله فيه فرعون ونجا موسیٰ فنحن نصومه شكرا لله فيستفاد منه فعل الشكر لله... الیٰ ان قال... وای نعمة اعظم من نعمة بروز هذا النبی ﷺ نبی الرحمة فی ذلک اليوم.

तर्जमा : शैख़ुल इस्लाम हाफिज़ुल अस्र इब्ने हजर से मीलाद शरीफ के अमल के हवाले से पूछा गया आपने उसका जवाब कुछ यूँ दिया : मुझे मीलाद शरीफ के बारे में असल तख़रीज का पता चला जो सहीहैन (बुख़ारी, मुस्लिम) से साबित है के हुज़ूर नबी करीम ﷺ मदीना तशरीफ लाए तो आप ﷺ ने यहूद को आशूरा के दिन रोज़ा रखते हुए पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे पूछा ऐसा क्यों करते हो? इस पर वो अर्ज़ कनाँ हुए के इस दिन अल्लाह तआला ने फिरऔन को ग़र्क़ किया और मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी, हम अल्लाह तआला की बारगाह में शुक्र बजा लाने के लिए इस दिन का रोज़ा रखते हैं। इस हदीस पाक से साबित हुवा के किसी मूअय्यन दिन में अल्लाह तआला की तरफ से किसी एहसान व इन्आम के अता होने या किसी मुसीबत के टल जाने पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए और हर साल इस दिन की याद ताज़ा करना भी मुनासिब तर है। अल्लाह तआला का शुक्र नमाज़ व सजदा, रोज़ा, सदक़ा और तिलावते कुरआन व दीगर इबादत के ज़रीए बजा लाया जा सकता है और हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम की विलादत से बढ कर अल्लाह की नेअ्मतों में से कौनसी नेअ्मत है?
(सुयूती, हसनुल मक़्सद फि अमलिल् मौलिद : ६३)

☆ हदीस : اِنّ رسول اللّٰه ﷺ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل على. (मुस्लिम १९७८)

तर्जमा : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पीर के रोज़े से मुतअल्लिक़ पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : इसी दिन मैं पैदा हुवा और इसी दिन मुझ पर कुरआन नाज़िल हुवा।

इमाम इब्ने रजब हंबली (शारेह बुख़ारी) लिखते हैं :

فيه اشارة الى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعم الله على عباده ان اعظم نعم الله علىٰ هذه الامة اظهار محمد ﷺ لهم و بعثته و ارساله اليهم كما قال تعالىٰ: (لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) فان النعمة على الأمة: با رساله أعظم من النعمة عليهم بايجاد السماء والأرض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وانزال المطر واخراج النبات وغير ذلک فان هذه النعم كلها قد عمت خلقا من بنى آدم كفروا بالله و برسله و بلقائه فبدلوا نعمة الله كفرا فأما النعمة بارسال محمد صلى الله عليه وسلم فان بها تمت مصالح الدنيا والآخرة

وكمل بسببها دين الله الذي رضيه لعباده وكان قبوله سبب سعادتهم في دنيا هم وآخرتهم فصيام يوم تجددت فيه هذه النعم من الله على عباده المؤمنين حسن جميل وهو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر و نظير هذا صيام يوم عاشوراء

(لطائف المعارف . المجلس الثانى فى ذكر المولد ايضاً)

तर्जमा : इस हदीस में इस तरफ इशारा है के अल्लाह तआला ने बंदों पर जिन अय्याम में इन्आमात फरमाए इनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है। और इस उम्मत पर अल्लाह तआला की सबसे बडी नेअ्मत सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादत, बेअ्सत और रिसालत है। जैसे के अल्लाह तआला का फरमान है :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ .(آل عمران.١٦٤)

तर्जमा : ''बिला शुबह अल्लाह तआला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया के उसने उन्हीं में से एक रसूल मब्ऊस फरमाया'' क्योंके उम्मत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम का मबऊस होना आसमान, ज़मीन, शम्स व क़मर, हवा, रात , दिन, बारिश और नबातात वग़ैह के पैदा होने से बडी नेअ्मत है। बिला शुबह ये नेअ्मतें तमाम औलादे आदम के लिए है। के ख़्वाह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हुए इन नेअ्मतों की नाशुक्री की, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तशरीफ आवरी से दुनिया व आख़ेरत के तमाम मसालेह ताम (हिक्मतें मुकम्मल) हुई.... लेहाज़ा ऐसे दिनों में रोज़ा रखना जिनमें नेअ्मतें अल्लाह की तरफ से हासिल हुईं निहायत ही अच्छा अमल है। और ये इन औक़ात में तजदीदे नेअ्मत पर शुक्र का दर्जा रखता है। और उसकी मिसाल यौमे आशूरा का रोज़ा है। (लताइफुल मआरिफ : १८९)

इस्लाम में जितने दिन मनाए जाते हैं वो बतौर यादगार के ही हैं : मसलन

१. शबे क़द्र : नुज़ूले कुरआन की यादगार

२. जुमा : विलादत व विसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार

३. आशूरा : हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरऔनियों पर फतह की यादगार

जब इन दिनों में से हर दिन हर साल अपने अंदर रहमतें लेकर लौटता है तो सय्यिदुल अव्वलीन व आख़िरीन ﷺ का यौमे विलादत कितना बा बरकत होगा।

कुल्लु बिद्अतिन दलालह् (كل بدعة ضلالة) का सहीह मफहूम

कुल्लु बिद्अतिन दलालह् यानी हर बिद्अत गुमराही है। ये हदीस आम मख़सूस है। यानी इसके अलफाज़ आम हैं। लेकिन मआनी ख़ास है और इसका मतलब ये है के हर वो नया अमल जो किताब व सुन्नत के मुख़ालिफ है वो ज़लालत और गुमराही है।

इमाम नववी : फरमाते हैं इससे मुराद अक्सर बिदअतें हैं। (शरह् मुस्लिम) और लफ्ज़ ''('كل') कुल्लु '' के साथ ताकीद का ये हरगिज़ मतलब नहीं के ये हदीस आम मख़सूस नहीं हो सकती। इसलिए के लफ्ज़ ''('كل') कुल्लु '' के साथ भी मअ्ना की तख़्सीस होती है। यानी कभी कुल्लु कहेकर बाज़ भी मुराद लिया जाता है। जैसे अल्लाह का फरमान है। 'وَتُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ' (अहक़ाफ : २५) यानी वो हवा हर चीज़ को हलाक व बरबाद करती है। इसके उमूम में कायनात के तमाम मज़ाहिर शामिल हैं। लेकिन सबकी हलाकत व बरबादी ना किताबुल्लाह की मुराद है और ना वाक़ेआ के मुताबिक़ है। चुनान्चे मुफस्सिरीन ने इसे आम मख़सूस मान कर इस आयत की तफसीर बयान की है।

इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने مرت عليه की क़ैद से इसके मअ्ना की तख़्सीस की है। यानी वो हवा उन चीज़ों को बरबाद करती थी जिन पर से वो गुज़री। (तफ्सीर जलालैन)

इमाम इब्ने कसीर इसकी तफ्सीर यूँ बयान करते हैं :
من بلادهم مما من شانه الخراب यानी उस हवा की हलाकत ख़ेज़ी सिर्फ क़ौमे आद के इलाक़ों में थी। और इन चीज़ों तक महदूद थी जो हलाक व बरबाद होने के क़ाबिल थी। (तफ्सीर इब्ने कसीर)
और सिर्फ इसी तख़्सीस के ज़रीए हज़रत जरीर से मरवी मुस्लिम शरीफ की हदीस 'من سن فى الاسلام سنة حسنة' और दूसरी बहोत सी अहादीसे शरीफा से इस हदीस के तआरूज़ को दूर किया जा सकता है। और सहाबा किराम और तबाईने इज़ाम के बहोत से नौ ईजाद कामों और उनकी अव्वलियात की तावील की जा सकती है। (मुक़द्मा, मीलादे इब्ने कसीर)

शुबह नं. ४ : हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना यौमे विलादत नहीं मनाया तो हम कैसे मनाएँ?

शुबह का इज़ाला : हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना यौमे विलादत रोज़ा रख कर हर हफ्ते मनाया जैसा के पीछे गुज़रा।

हुज़ूर ﷺ का किसी काम को ना करना उसके हराम व बिद्अत होने की दलील नहीं

सय्यद अबुल आला मौदूदी लिखते हैं :

''किसी फेअ्ल को बिद्अते मज़मूमा (बुरी बिद्अत) क़रार देने के लिए सिर्फ यही बात काफी नहीं है के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में ना हो। लुग़त (डिक्शनरी) के एतेबार से तो ज़रूर हर नया काम बिदअत है। मगर शरीअत की इस्तेलाह में जिस बिदअत को ज़लालत (गुमराही) क़रार दिया गया है उस से मुराद वो नया काम है जिसके लिए शरअ् में कोई दलील ना हो, जो शरीअत के किसी क़ायदे या हुक्म से मुतसादिम (टकराता) हो, जिससे कोई फायदा हासिल करना कोई ऐसी मज़र्रत (नुक़्सान) रफअ् करना मुतसव्वर ना हो जिसका शरीअत में एअ्तेबार किया गया हो। जिसका निकालने वाला उसे ख़ुद अपने ऊपर या दूसरों पर इस इद्दीआ (दअ्वे) के साथ लाज़िम करे के उसका ना करना गुनाह और करना फर्ज़ है। ये सूरत अगर ना हो तो मुजर्रद (सिर्फ) इस दलील की बिना पर के **फुलाँ काम हुज़ूर के ज़माने में नहीं हुवा उसे बिदअत ब मअ्ना ज़लालत नहीं कहा जा सकता।** '' (तअ्ज़ीराते क़लम, अल्लामा अरशदुल क़ादरी, बहवाला मुजल्ला तरजमानुल-कुरआन, लाहौर, जि.६०)

शुबह नं. ५ : बाज़ हज़रात कहते हैं के इत्तेबाअ् अमल में भी है और तर्के अमल में भी। यानी मौक़ा होने के बावजूद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा ने किसी अमल को ना किया हो तो उसे ना करना ही दीन है।

शुबह का इज़ाला : ये बात दुरूस्त है लेकिन ये क़ायदा कुल्लिया नहीं के हर छोडा हुवा काम हराम हो जाए। इस मौज़ूअ् पर ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम मुहम्मद बिन हसन अल-जीज़ानी ने एक मुस्तक़िल किताब ''सुन्नतुत्तर्कि व दलालतुहा अलल् अहकामिश्शरीअह'' लिखी है। और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के छोडे हुए अअ्माल की मुतअद्दिद अक़्साम और उनके अहकाम बयान किए हैं जिससे ये साबित होता है के हर छोडा हुवा काम हराम व मम्नूअ् नहीं होता। इस किताब से दो मिसालें पेशे ख़िदमत हैं।

तर्के अमल की वुजूहात

१. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का किसी काम को आदत व मअ्मूल की वजह से तर्क करना।

मसलन बुख़ारी शरीफ हदीस नं. ५३९१ में है के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में ज़ब् यानी घोरपड का गोश्त पेश किया गया। आपने तनावुल नहीं फरमाया तो सहाबा ने दरयाफ्त किया क्या ये हराम है? उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया

‘لا،انه لم یکن بارض قومی فاجدنی اعافه’

यानी हराम नहीं लेकिन ये गोश्त मेरी क़ौम में मअ्रूफ नहीं इसमें बू महसूस होती है। (सुन्नतुत्तर्क)

इस हदीस से दो बातें साबित होती है।

१. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का किसी काम को ना करना उसके हराम होने की दलील नहीं।

२. किसी चीज़ के नापसंदीदा होने से उसका हराम होना साबित नहीं होता।

२. किसी मसलेहत या हिक्मत की वजह से तर्क फरमाना।

जैसे : १. मुनाफिक़ीन के क़त्ल से इस वजह से रोकना के लोग कहेंगे के उन्होंने अपने मानने वालों का ही क़त्ल शुरू कर दिया।

२. महीना भर तरावीह की जमाअ्त सिर्फ इस लिए नहीं करवाई के कहीं फर्ज़ ना हो जाए। (सुन्नतुत्तर्कि व दलालतुहा फिल् अहकामिश्शरीअह)

☆ शेख़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस-सिद्दीक़ अल-ग़िमारी लिखते हैं :

१. किसी चीज़ के तर्क करने से सिर्फ इतनी बात साबित होती है के इस काम को छोडना ‘‘जाएज़’’ है। उसको ‘‘हराम’’कहने के लिए दूसरी दलील की ज़रूरत होती है।

२. अल्लाह तआला ने ‘وَمَا آتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا’ फरमाया है। यानी जो रसूल तुम्हें दें वो ले लो और जिससे रोक दें रूक जाओं। ये नहीं फरमाया के जिससे रूक जाए तुम भी रूक जाओ। इसलिऐ के किसी अमल से रूकना उसके हराम होने की क़तई दलील नहीं होती।

३. जम्हूर उसूलिय्यीन ने सुन्नत की तअ्रीफ यूँ की है के ‘‘सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल (बात), फेअ्ल (काम) और ख़ामोश ताईद का नाम है। ये नहीं फरमाया के ‘‘मुतलक़ किसी काम का छोडना ’’भी

सुन्नत है।
४.अदिल्ल-ए-शरईयह् चार हैंः १. क़ुरआन, २. हदीस,३.क़ियास, ४.इज्माअ्
किसी ने भी ''मुतलक़ तर्के अमल'' को क़तई दलीले शरई नहीं कहा।
(हुस्नुत-तफह्हुमि वद्दर्क)

इस बाब में अहादीस

قال عبدالله بن المبارک اخبرنا سلام بن ابی مطیع عن ابی دخیلة عن ابیه قال کنت عند بن عمرفقال نهی رسول الله ﷺ عن الزبیب والتمر یعنی ان یخلطافقال لی رجل من خلفی ما قال فقلت حرم رسول الله التمر والزبیب فقال عبدالله بن عمر کذبت فقلت الم تقل نهی رسول الله ﷺ عنه؟فقال انت تشهد بذلک؟ قال سلام کانه یقول ما نهی النبی ﷺ فهو ادب.

तर्जमा : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बयान करते हैं के हमें सलाम बिन अबू मुतीअ् ने इब्ने अबू दुख़ैलह् से, उन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया के मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास था। आपने फरमाया के ''हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किश्मिश और खजूर को मिलाने से मना फरमाया है।'' मुझसे मेरे पीछे खडे हुए शख़्स ने पूछा के उन्होंने क्या कहा? तो मैंने कहा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किशमिश और खजूर के मिलाने को हराम फरमाया है। इस पर हज़रत इब्ने उमर ने मुझ से कहा के तुम ने झूट बोला। मैंने कहा के आप ही ने तो अभी कहा के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इससे मना फरमाया है। तो आप ने कहा 'क्या इस बात पर गवाही दे सकते हो?' हज़रत सलाम कहते हैं के हज़रत इब्ने उमर गोया ये कहना चाहते थे के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इससे मना करना 'बतौरे आदाब' था ना के 'बतौरे हुरमत।' (हुस्नुत-तफह्हुमि वद-दर्कि, स. २६)

इस हदीस से ये पता चलता है के हर मुमानअत से हुरमत साबित नहीं होती। हो सकता है के वो मनअ् किया हुवा अमल सिर्फ मकरूह हो। जब मना करने से भी हर जगह हुरमत साबित नहीं होती तो सिर्फ 'मुतलक़ तर्के अमल' से हर जगह हुरमत कैसे साबित हो सकती है?

२. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का क़ौल है :

وماسکت عنه فهو مما عفا عنه

यानी जिस चीज़ में सुकूत (ख़ामोशी) इख़्तियार किया गया है उसमें मुवाख़ज़ा नहीं होगा। (अबू दाऊद : ३८००)

इस रिवायात को इमाम हाकिम ने सहीह कहा है और इमाम ज़हबी ने उनकी मुवाफक़त की है।

عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ 'ما احل الله فهو حلال . وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو مما عفا عنه فاقبلوا من الله عافیته فان الله لم یکن لینسی شیئاثم تلا "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"

तर्जमा : हज़रत अबू दर्दा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया के जो अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल है और जिसे हराम किया वो हराम है। और जिससे ख़ामोशी इख़्तियार की वो मुआफ है। पस अल्लाह से इसकी आफियत को क़बूल करो। क्योंके अल्लाह तआला किसी चीज़ को भूलता नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا" (مریم:६४) यानी और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं।

इमाम बज़्ज़ार ने कहा के इस हदीस की इस्नाद सहीह है। और इमाम हाकिम ने इस हदीस को सहीह कहा है।

सहाबा किराम का ना करना किसी चीज़ के हराम व बिदअत होने की दलील नहीं

क़ारी तय्यिब : (साबिक़ मुहतमिम् दारूल उलूम देवबंद) लिखते हैं :

''बहोत से मुबाहाते असलिया (जाएज़ चीज़ें) जो सहाबा किराम ने ज़माने में ज़ेरे अमल नहीं आए मगर इबाहते असलिया के बाइस जाएज़ हैं। या बहोत से इज्तेहादी मसाइल जो ज़मान-ए-सहाबा में ज़ेरे अमल तो क्या ज़ेरे इल्म भी नहीं आए मगर बाद में किसी उसूले शरई से मुस्तंबत (साबित) हुए। तो वो **इस लिए नाजाएज़ नहीं हो सकते के उनके बारे में सहाबा का अमल मन्कूल नहीं है।**''

पस ऐसे जाएज़ मसाइल पर जब भी उम्मत अमल पैरा होगी उसे इसका हक़ है और वो अमल शरई हो कर ही अदा होगा। (कलिम-ए-तय्यिब, स.११२)

मुन्किरीने कलिमा ने एक ऐतेराज़ किया था के सीग़-ए-शहादत यानी اشهدان لاالهالاالله के बग़ैर अहादीस में जहाँ भी ये कलिमा आया वहाँ सिर्फ لاالـه الا الله मज़कूर हुवा है محمد رسول الله ﷺ मज़कूर नहीं लेहाज़ा इन दोनों कलिमों को एक

साथ मिला कर पढना और कलिमा-ए-वाहिदा बना देना बिद्अत और नाजाएज़ है। उनके इस्तेदलाल का जवाब क़ारी तय्यिब साहब यूँ देते हैं :

''इसके जवाज़ का मदार किताब व सुन्नत और इज्माअ् पर है ना के फेअ्ले सहाबा पर के ये हुज्जते मुस्तक़िल्लाह ही नहीं है **इसलिए हुज्जत (दलील) के सिलसिले में मुस्तक़िल्लन फेअ्ले सहाबा (सहाबा के अमल) का मुतालबा किया जाना शरई फन्ने इस्तेदलाल को चँलेज करना है।**''

एक मक़ाम पर लिखते हैं : माना के रिवायात में ये जुमला-ए- सानिया محمد رسول الله ﷺ मज़कूर नहीं। लेकिन उसकी नफी और मुमानअत भी तो मज़कूर नहीं जिससे لا اله الا الله के साथ मिलाकर पढना मम्नूअ् साबित हो। (कलिमा-ए-तय्यिब, स.८६)

आगे लिखते हैं : ''मानिईने कलिमा से बतौरे दलीले नक़्ज़ ये कहा जाएगा के या तो कलिमा तय्यिबा की मुमानअत किसी एक ही सहाबी के क़ौल व फेअ्ल से दिखला दी जाए वरना इसे जाएज़ समझा जाएगा। ''(कलिमा-ए-तय्यिब, स.११४)

हम भी तो यहीं कहते है के ज़िक्रे मीलाद की मुमानअत किसी एक सहाबी से दिखा दीजिए वरना आप ही के क़ायदे के मुताबिक़ उसे जाएज़ ही समझा जाएगा।

मजालिसे ज़िक्र शरीफ का जाएज़ और मतलूब होना

शेख़ अशरफ अली थानवी अपने रिसाले नश्रूत-तीब में आयते शरीफा और रिवायाते हदीस नक़ल करने के बाद लिखते हैं : ''हक़ तआला के इरशाद से ,हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल व फेअ्ल से, सहाबा व ताबईन के अमल से इस ज़िक्रे शरीफ (यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फज़ाइल, ख़साइस, और शमाइल सुनना सुनाना और उसके लिए बुलाना और उसकी कसरत व तक्रार) का मंदूब व महबूब होना मालूम व मफहूम हुवा।''
(नश्रूत-तीब, फस्ल ३९)

आगे लिखते हैं : मुहब्बत व इत्तेबाऐ सुन्नत वजूबे शरई है। तो उसके ज़राएअ् भी इसी दर्जे में मतलूब हुए। (अल-उतूरूल मजमूअह फी ज़िक्रीन्नबीय्यिल हबीबि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहवाला नश्रूत्-तीब)

✯ मीलाद शरीफ अगरचे नौ ईजाद अमल है लेकिन बेशुमार दीनी मसलेहतों और फायदों पर मब्नी है। इसलिए उलमा ने उसे मुस्तहब क़रार दिया है।

मीलाद शरीफ की महफिलें :

- ✯ सुन्नत व सीरत की मअ्रिफत का ज़रिया है।
- ✯ मुहब्बते रसूल में गरमी व हरारत पैदा करने का बाइस है।
- ✯ इस नेअ्मते कुब्रा पर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने का वसीला है।
- ✯ तब्लीग़ व दअ्वत और समाजी इस्लाह का प्लॅटफॉर्म है।
- ✯ दीनी जज़्बात के फरोग़ का सबब है।
- ✯ इस्लामी उख़ुव्वत व इज्तेमाइय्यत की आइनादार है।
- ✯ सदक़ात व ख़ैरात के ज़रीए फक़ीरों और मोहताजों के तआवून का मौक़ा है।

इन तमाम उमूर का शरीअत मुतालबा करती है। लेहाज़ा इन उमूर की तक्मील और बजा आवरी का ज़रीया यानी मीलाद शरीफ की महफिलें भी शरअन मतलूब होंगी। (मुक़द्दमा मीलाद इब्ने कसीर मुतर्जमा, डॉ. अलीम अश्रफ जाईसी. स. ९)

ये बिदअत नहीं इज्तेहाद है।

शेख़ इब्ने तैमिया अपनी किताब इक़्तेज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़िम स.२४२ पर लिखते हैं : **والله قد يثيبهم على هذا المحبة والاجتهاد**

यानी अल्लाह तआला उन्हें इस मुहब्बत व इज्तेहाद पर अज्र व सवाब अता फरमाता है।

बिद्अत बिद्अत की रट लगाने वालों को शेख़ इब्ने तैमिया का मश्वरा व तंबीह

शेख़ इब्ने तैमिया का मश्वरा :

ولكن اذا كان فى البدعة نوع من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الامكان اذ النفوس لا تترک شيئاً الّا بشيئ

तर्जमा : ऐसी बिद्अतें जिनमें कुछ ख़ैर भी शामिल हो उनसे मना करने की बजाए मुम्किना हद तक उसे मश्रूअ् (जाएज़) ख़ैर से बदलना चाहिए क्योंके लोग एक चीज़ को उसी वक्त छोडते हैं जब उन्हें दूसरी चीज़ मिल जाती है। (मना करने की बजाए उसका नेअ्मुल बद्ल लोगों को देना चाहिए।)
(इक़्तेज़ाउस-सिरातिल मुस्तक़ीम, स.२४४)

गोया शेख़ इब्ने तैमिया कह रहे हैं के जश्ने मीलाद से रोकने की बजाए उसमें जो ख़ुराफात शामिल हो गई हैं उनको हटा कर अच्छी चीज़ों को दाख़िल करना चाहिए और अक़्ल का तक़ाज़ा भी यही है के अगर नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी हटा कर नाक साफ कर लेनी चाहिए अगर कोई मक्खी और गंदगी हटाए बग़ैर नाक ही काटना चाहे तो इसे हिमाक़त ही कहा जाएगा।

शेख़ इब्ने तैमिया की तंबीह और हक़ीक़ते हाल का इज़्हार :

كثير من المنكرين لبدع حالهم فى ترک السنن اسوء من حال المبتدعين....تجدهم مقصرين فى فعل السنن من ذلک او الامربه.... فمن تعبّد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة....او قصد احياء ليال لا خصوص لها.... قد يكون حاله خيراً من حال البطّال الذى ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته بل كثير من هولاء، الذين ينكرون هذه الاشياء زاهدون فى جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح.... وهولاء خير ممن لايعمل عملاً صالحا مشروعاً ولا غير مشروع. (اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۴۴)

तर्जमा : बिद्अतों से रोकने वालों की अकसरियत सुन्नतों को तर्क करने में बिद्अतियों से ज़्यादा गई गुज़री हालत में होती है। तुम उनको सुन्नतों पर अमल करने और उसका हुक्म देने में कोताही करने वाला पाओगे। जो लोग बाज़ ऐसी इबादात को बजा लाते हैं जिसमें कुछ कराहियत होती है या किसी ऐसी रात को शब बेदारी करते हैं जिसकी कोई ख़ुसूससियत नहीं उनकी हालत उन मना करने वालों से बेहतर होती है जिनमें अल्लाह की इबादत व इताअत की कोई हिर्स और रग़बत नहीं होती बल्के उन मना करने वालों में से अक्सर अफराद अल्लाह की इबादत की जिन्स यानी इल्मे नाफ़ेअ और अमले सॉलेह दोनों से ज़ाहिद व बेनियाज़ होते हैं। तो ये ग़ैर मशरूअ् इबादात पर अमल करने वाले उन लोगों से बेहतर हैं जो ना ग़ैर मशरूअ् इबादत बजा लाते हैं और ना मश्रूअ।
(इक़्तेज़ाउस-सिरातिल मुस्तक़ीम, स.२४४)

कुछ ऐसे जल्से जिन्हें बिद्अत नहीं कहा जाता

१. सालाना दर्से बुख़ारी २. अपने मस्लक के उलमा पर सेमिनार
३. सालाना इज्तेमाआत ४. सऊदी अरब का क़ौमी दिन

५. नद्वा का पचास साला जश्न ६. दारूल उलूम देवबंद का जश्ने सद (सौ) साला
७. तेहरीक रेश्मी रूमाल का सद साला जश्न
८. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का सालाना दस रोज़ा जल्सों के के साथ इस्लामी नुमाइश
९. मरकज़ी जमाअते अहले हदीस के सालाना जल्से
१०. मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजदी के यौमे वफात पर हर साल किंग सऊद यूनिव्हर्सिटी (रियाज़) में सालाना जल्से का इन्अेक़ाद।

कुछ ऐसे जुलूस जिन्हें बिद्अत नहीं कहा जाता

१. १९५० की दहाई में जमाअते इस्लामी पाकिस्तान ने ग़िलाफे कअ्बा तय्यार करके जुलूस की शकल में शहर में घुमाया था और फिर मक्का मुकर्रमा भेजा गया। जब इस पर ऐतराज़ किया गया तो उसका जवाब मौलाना अबुल अअ्ला मौदूदी ने इस तरह दिया : ''ग़िलाफ के कपडे का जुलूस करना और उसकी नुमाइश का इन्तेज़ाम करना बिला शुबह एक नया काम था जो अहदे रिसालत और ज़माना-ए-ख़िलाफते राशेदा में नहीं हुवा लेकिन मैंने ये काम इस बिना पर नहीं किया के मैं असलन इसकी नुमाइश करना चाहता था और उसे धूमधाम से भेजना इब्तेदा ही से मेरी स्कीम में शामिल था बल्के मैंने ये प्रोग्राम इसलिए बनाया जब सारे मुल्क में इसके लिए अवाम के अंदर बे पनाह जज़्ब-ए-शौक़ ख़ुद बख़ुद भडक उठा और मुझे अंदेशा हुवा के अगर ये शौक़ ख़ुद अपना रास्ता निकालेगा तो बडे पैमाने पर गुमराही फैलने का मूजिब (सबब) बन जाएगा।''
(मजल्ला तर्जमानुल क़ुरआन, जि. ६०, अदद नं. १)
२. जमाअते इस्लामी की सीरत मुहिम ''मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सब के लिए'' (पूना) में बनाम ''रॅली'' जुलूस निकाला गया।
३. जमियते उलमा की क़ियादत में हर साल कानपूर में जुलूस ''ईद-ए-मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम'' निकलता है।
४. मौलाना अब्दुल अलीम फारूक़ी की क़यादत में लखनऊ में हर साल ''जुलूस मद्हे सहाबा'' निकलता है।

शुबह नं. ६ : मीलाद फातिमी शीओं की ईजाद है।
शुबह का इज़ाला : जश्ने मीलाद के आग़ाज़ के सिलसिले में मुख़्तलिफ अक़्वाल हैं।

पहला क़ौल : मिस्र में फातिमी हुकूमत से काफी साल पहले इमाम अबुल हसन उबैदुल्लाह कर्ख़ी से भी ये अमल साबित है।

डॉक्टर हसन इब्राहीम हसन लिखते हैं :

روی عن الامام الزاهد الكرخی وهو من زهاد القرن الرابع الهجری انه كان يولی يوم مولد الرسول ﷺ ماهو خليق به من تعظيم وتقديس وقد احتفل المسلمون منذ ذلک الحين بليلة مولد الرسول ﷺ

(مجلّه لواء الاسلام ، ربيع الاوّل ١٣٦٨ھ صفحه ٤٨، ٤٩)

तर्जमा : इमाम ज़ाहिद कर्ख़ी के बारे में है जो चौथी सदी हिजरी के निहायत ही साहिबे तक़्वा आलिम हैं के वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विलादत के दिन ख़ूब तअ्ज़ीम और उसके शायाने शान एहतमाम करते, उस वक्त से मुसलमान महफिले मीलाद सजाते हैं।

याद रहे इन बुज़ुर्ग का विसाल ३४० हिजरी में यानी मिस्र में फातिमी हुकूमत से अठारह साल पहले हुवा इससे वाज़ेह होता है के जश्ने मीलाद फातिमी शीओं की ईजाद नहीं।

दूसरा क़ौल : बादशाह मुज़फ्फरूद्दीन अबू सईद कोकबरी के ज़माने में इसका आग़ाज़ हुवा।

शुबह नं. ७ : सबसे पहले मज्लिसे मीलाद का इन्अ्क़ाद करने वाला ये बादशाह बे-दीन, ज़ालिम, नफ्स परस्त, फुज़ूल ख़र्ची करने वाला था।

शुबह का इज़ाला : जी नहीं ! बल्के वो निहायत मुतदय्यन, नेक नफ्स और सख़ी थे उनका नाम अबू सईद कोकबरी था। मुज़फ्फरूद्दीन कोकबरी के नाम से मअ्रूफ थे।

१. उनकी दीनदारी से मुतअल्लिक़ उलमा के अक़्वाल :

☆ **इमाम ज़हबी** (७४८ हि.) फरमाते हैं :

وكان من ادين الملوک واجودهم واكثرهم برًا ومعروفاً

तर्जमा : ये निहायत ही दीनदार, सख़ी और बहोत ज़्यादा नेक और सॉलेह हुकमराँ (बादशाह) थे। (अल-इब्र, जि. २, स.२२४)

وكان متواضعاً خيراً سنّياً۔

वो निहायत ही मुतवाज़ेअ् (आजिज़ी करने वाले), दीनदार और सुन्नी थे। (सियरू अअ्लामिन-नुबला, जि.१६,स.२८५)

☆ **इब्ने ख़ल्कान लिखते हैं :**

وكان كريم الاخلاق كثير التواضع حسن العقيدة سالم البطانه شديد الميل الى اهل السنة والجماعة

तर्जमा : अअ्ला अख़्लाक़ के हामिल, निहायत ही मुतवाज़ेअ्, अच्छे अक़ाइद वाले सलीमुल अक़्ल और अहले सुन्नत वल जमाअत से थे। आगे लिखते हैं :

ولو استقصيت فى تعداد محاسنه لطال الكتاب فى شهرة معروفه غنية عن الاطالة

तर्जमा : अगर मैं उनकी अच्छाइयाँ शुमार करूँ तो किताब तवील हो जाएगी। उनका दीनदार होना तहरीर का मोहताज ही नहीं है।

☆ **इमाम इब्ने ख़ल्कान** की ये बातें सुनी सुनाई नहीं बल्के मुशाहेदा हैं। लिखते हैं :

مع الاعتراف بجميلة فلم اذكر منه شيئا على سبيل المبالغة بل كل ماذكرت عن مشاهدة وعيان وربما حذفت بعضه طلبا للايجاز

तर्जमा : इनके औसाफ के एअ्तेराफ के बावजूद मैंने बतौरे मुबालग़ा कुछ नहीं लिखा बल्के ये तमाम मेरा मुशाहेदा है और इख़्तिसार की वजह से बहोत सी चीज़ें मैंने हज़फ कर दी हैं। (वफिय्यातुल अअ्यान, जि.३,स.५३९)

☆ **हाफिज़ इब्ने कसीर (७७४ हि.) लिखते हैं :** محمود السيرة والسريرة

तर्जमा : ये अअ्ला सीरत और पाक तीनत हुक्मराँ थे। (अल्बिदायह, जि.१३,१४७)

एक जगह लिखते हैं : احد الملوک الامجاد ये बुज़ुर्ग हुक्मेरानों में से हैं।

२. उनके अद्ल व इन्साफ से मुतअल्लिक़ उलमा के अक़्वाल :

☆ **हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं :** كان عاقلا عالما عادلاً۔

तर्जमा : ये हुक्मेराँ निहायत ही आक़िल, आलिम और आदिल थे। (अल्बिदायह, जि. १३, स.१४७)

☆ **मलिक अशरफ ग़स्सानी लिखते हैं :**

كان عادلاًشجاعا جواداً...حسن السيرة جيّد السياسة عطوفاً على الرعية۔

ये आदिल बहादुर, सख़ी अअ्ला किरदार वाले उम्दा सियासत और रियाआ पर निहायत ही शफीक़ थे। (अल्अस्जदुल मस्बूक, जि.१,स.४५३)

☆ **शेख़ सिब्त इब्ने जौज़ी** (६५४) : बादशाह मुज़फ्फरूद्दीन पर जबरन माल वसूल करने के इल्ज़ाम का ज़िक्र करके उसका जवाब यूँ देते हैं :

قلت ومع هذا المناقب فلا يسلم من السنة الناس ويقولون هذا يصاد ر ديوانه و دواوينه وكتّابه ويستأ صلهم....وذكروا اشياء اخر من ذا مِن السنة الناس يسلم؟ اللهم غفرا (مرأة الزمان ج ٨، ص ٦٨٣)

तर्जमा : मैं कहता हूँ इन तमाम औसाफ व मनाक़िब के बावजूद लोगों की ज़बानों से ये भी महफूज़ नहीं रहे। लोग कहते हैं ये अपने वज़ीरों, दवावीन और मुलाज़िमीन से ज़ुलमन माल वसूल करता.... इसके इलावा भी चीज़ें लोगों ने कही हैं। मगर लोगों की ज़बानों से कौन बचा है? अल्लाह तआला लोगों पर रहम फरमाएँ।

आगे लिखते हैं :

ولعله اطلع منهم على خيانات فرأى اخذالاموال وانفاقها فى ابواب الخير والقربات اولىٰ . (مرأة الزمان. ج ٨ ص ٦٨٣)

तर्जमा : मुम्किन है वो उनकी ख़ियानतों पर मुत्तलअ् हुवा हो तो उनसे माल लेकर अच्छे और ख़ैर के कामों में ख़र्च करना बेहतर ही महसूस किया हो।

☆ **इमाम याक़ूत हमवी** ने मन मानी और ज़ुलम के ज़रीए माल जमा करने का ज़िक्र करने के बाद उसका मसरफ भी बताया।

وهو مع ذلک مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء ويسيسر الاموال الجمة الوافرة يستفک بها الاسارى من ايدى الكفار.

तर्जमा : इसके साथ साथ ये फ़ुक़रा पर शफक़त करने वाला, मुसाफिरों पर कसीर रक़म खर्च करने वाला, कसीर अमवाल खर्च करके कुफ्फार से मुसलमान क़ैदियों को आज़ाद करवाने वाला था। (मोअ्जमुल बुल्दान, जि.१, स.१३८)

३. तरग़ीबे इज्तेहाद से मुतअल्लिक उलमा के अक्वाल:

*** शैख़ मलिक अशरफ गस्सानी:** लिखते हैं:

وكان يميل لمذهب ابى حنيفة والشافعى۔

तर्जमा: ये इमामे आज़म अबू हनीफा (रहमतुल्लाह अलैहि) और इमाम शाफअ्ई (रहमतुल्लाह अलैहि) के मुकल्लिद थे। (अल्अस्जदल् मस्बूक , जि.१, स.४५३)

*** इब्ने खल्क़ान (६८१ हि.) लिखते हैं:**

وبنى مدرسة رتّب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية وكان كل وقت يأتيها بنفسه.

तर्जमा: इन्होंने एक मद्रसा बनाया जिसमे शवाफेअ् और अहनाफ के फुक़हा असातेज़ा मुकर्रर किये, और हर वक्त ये वहां आते जाते। (वफीय्यातुल अअ्यान, जि.३, स. ५३६)

*** इमाम ज़हबी(७४८हि.):** ने भी इसी हवाले से लिखा है:

وبنى مدرسة للشافعية والحنفية وكان ياتيها كل وقت

तर्जमा: शवाफेअ् और अहनाफ के लिए मद्रसा बनाया और वहां उनकी अक्सर आमदो रफ्त होती। (तारीखे इस्लाम: जि.४५, स. ४०३)

४. सादगी और सखावत से मुतअल्लिक उलमा के अकवाल:

इस सिलसिले में उनकी अहलिया मोहतरमा रबीआ खातून(सुलतान सलाहुद्दीन अय्युबी की बहेन) की बात इमाम इब्ने कसीर के हवाले से नक्ल की जा रही है:

*** हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं:**

قالت زوجة ربيعة خاتون بنت ايّوب كان قميصه لايساوى خمسة دراهم فعاتبته ذالک فقال لبسى ثوباً بخمسة واتصد ق بالباقى خيرمن البس ثوباً مثمناً وادع الفقير والمسكين.

तर्जमा: उनकी अहलिया रबीआ खातून बिन्ते अय्युब बयान करती हैं के मेरे खाविंद की क़मीस पाँच दिरहम के बराबर भी न होती मैं उनसे नाराज़ होती तो फरमाते मेरा पाँच दिरहम का लिबास पहेनना और बाकी का सदक़ा करना बेहतर

है इस बात से के मैं क़ीमती लिबास पहनुं और फुक्रा व मसाक़ीन को छोड दुं। (अलबिदायह जि.१३ स.१४७)

* **शैख सिब्त इब्ने जौज़ी** ने उनकी अहलिया से यही बात युं नक्ल की है:

كان ثوبه يساوى خمسة دراهم من خام.

उनका लिबास खुरदरा पाँच दिरहम के बराबर था। (मरअ़तुज़्ज़मां जि.८, स. ६८०)

५. उनकी शुजाअत से मुतअल्लिक उलमा के अकवाल:

उनके वालिद ज़ैनुद्दिन अली कोजक जब फौत हुए तो मलिक मुज़फ्फरूद्दिन की उमर १४ साल थी। ये सुलतान सलाहुद्दीन अय्युबी के पास चले गये।

شهد مع صلاح الدين مواقف كثيرة وابان فيها عن نجدة وقوة نفس وعزمة وثبت فى مواضع لم يثبت فيها غيره على ماتضمنته تواريخ الاصبهافى وبها ء الدين بن شداد وغير هما و شهرة ذلک تغنى عن الاطالة فيه ولو لم يكن له الّا وقعة حطين لكفته فانه وقف هو وتقى الدين صاحب حماة وانكسر العسكر باسره ثم لما سمعوا بوقوفهما ترجعوا حتى كانت النصرة للمسلمين فتح الله سبحانه عليهم.

तर्जमा: ये सुलतान सलाहुद्दीन के साथ कसीर जंगों में शरीक हुए और वहां शुजाअत, ज़ीरकी और पूर-अज़म होने के ऐसे जौहर दिखाये और ऐसी जगह पर खड़े रहे के कोई दुसरा खड़ा न रह सका जैसा के 'तवारीख इमाद अस्बहानी और बहाऊद्दीन बिन शद्दाद' और दीगर में मौजुद है। उन चीज़ों का मशहुर होना तवालत से बेनियाज़ कर देता है।

अगर वाक़िआ-ए-हित्तीन के अलावा कोई और फज़ीलत न भी होती तो यही काफी है के वहां वो और साहिबे हमात तकीउद्दीन ही साबित कदम रहे बाक़ी तमाम लश्कर भाग निकला। जब उन्होंने इन दोनों की साबितकदमी सुनी तो लौट आये यहाँ तक के मुसलमानों को फतेह मिली। (वफीयातुलअअ्यान जि.३ स. ५३९)

तीसरा क़ौल: शैख उमर बिन मोहम्मद बिन मल्ला ने सबसे पहले जश्ने मीलाद का आग़ाज़ किया।

इमाम नववी के उस्ताद इमाम अब्दुर्रहमान अबू शामा रह. (६६५ हि.) बयान करते हैं:

وكان اوّل من فعل ذلک بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملّا احد الصالحين المشهورين و به اقتدىٰ فى ذلک صاحب اربل وغيره رحم الله تعالىٰ

तर्जमा: और सबसे पहले ये अमल शहरे मूसल में शैख उमर बिन मोहम्मद मल्ला ने किया जो निहायत ही स्वालेह (नेक) बुज़ूर्ग थे। साहिबे इरबल (बादशाह मुज़फ्फरूद्दीन) और दीगर लोगों ने उनकी पैरवी में ये अमल शुरू किया।

*** शैख सिब्त इब्नुल् जौज़ी बयान करते हैं:**

وكان عمر الملاء من الصالحين وانما سمّى الملاء لانه كان يملا تنانير الاجر ويأخذ الاجرة فيتقوّت بها وكان ما عليه مثل القميص والعمامة ما يملک غيره ولايملک من الدنيا شيئا وكان عالماً بفنون العلم.

तर्जमा: शैख उमर मल्ला नेक आलिम थे। अलमल्ला कहने की वजह ये है कि ये ईंटों से तन्नूर भरते और उसपर उजरत और मज़दुरी हासिल करके गुज़ारा करते। सिर्फ क़मीस और अमामा के मालिक थे इसके अलावा उनके पास कुछ न होता और दुनिया में किसी शैए(चीज़)के मालिक न थे। और वो कई उलूमो फूनुन के माहिर थे।

وجميع الملوک والعلماء والاعيان يزورونه ويتبركون به

तर्जमा: तमाम हुक्मेराँ अहले इल्म और किबार (बडे) लोग उनकी ज़ियारत करते और उनसे बरकत हासिल करते।

हाफिज़ इब्ने कसीर लिखते हैं :

وكان نور الدين يستقرض منه فى كل رمضان ما يفطر عليه وكان يرسل اليه بقتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان.

तर्जमा : सुल्तान नूरूद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाहि अलैह उनसे इफ्तार के लिए अश्या (चीज़ें) माँगा करते थे, तो ये उनकी तरफ कुछ ख़ूराक और रोटी के टुकडे भेजते जिन पर तमाम रमज़ान सुल्तान इफ्तारी करते थे। (अल-बिदायह, स.१२)

⭐ मीलाद पर सबसे पहले मुस्तक़िल्लन किताब लिखने वाले आलिम शेख़ अबुल ख़त्ताब इब्ने दिहया के बारे में इमाम इब्ने ख़ल्कान लिखते है। वो निहायत ही जय्यिद आलिम और मशाहीर फुज़ला में से थे। (अल-हावी लिलफतावा, जि.१, स.१९०)

चौथा क़ौल : सुल्तान मलिक शाह सलजूक़ी ने सरकारी पैमाने पर सबसे पहले मेहफिले मीलाद मुन्अक़िद की। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने ४८४ हि. के तहत जलालुद्दौला सुल्तान मलिक शाह सलजूक़ी के बारे में लिखा है जब वो मुहिम्मात से फारिग़ हो कर दूसरी मर्तबा बग़दाद आए तो उन्होंने ख़ूब धूम धाम से मेहफिले मीलाद का इन्अेक़ाद किया।

इमाम इज़्ज़ुद्दीन इब्ने असीर शैबानी (६३० हि.) लिखते हैं :

فی هذه السنة فی شهر رمضان وصل السلطان الی بغداد وهی المرة الثانیة ونزل بدار المملكة و نزل اصحابه متفرقین ....وعمل المیلاد ببغداد و تانقوا فی عمله فذكر الناس انهم لم یروا ببغداد مثله ابداً

तर्जमा : इस साल (यानी ४८४ हि.) माहे रमज़ान में सुल्तान बग़दाद आए उनकी ये आमद दूसरी मर्तबा थी। वो दारूल मम्लकत में और उनके साथी दीगर मक़ामात पर ठहरे..... फिर उन्होंने बग़दाद में मीलाद करवाया, लोग उनके इस अमल पर बहोत ही ख़ुश हुए। लोग कहते हैं के हमने उसकी मिस्ल बग़दाद में कभी नहीं देखा। (अल-कामिल फित्तारीख़, जि.८, स.३४९)

✯ **इमाम ज़हबी** अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम में ४८४ हि. के तहत लिखते हैं : فعمل المیلادببغداد तर्जमा : बग़दाद में मीलाद की मेहफिल सजाई गई। हर मुअर्रिख़ ने सुल्तान मलिक शाह सल्जूक़ी को निहायत ही सॉलेह और आदिल हुक्मराँ लिखा है।

و ملک مالم یملکه احد من ملوک الاسلام بعد الخلفاء المتقدمین وخطب له علی جمیع منابر الاسلام سوی بلاد المغرب

तर्जमा : साबेक़ा (गुज़रे हुए) ख़ुलफा के बाद मुसलमान हुक्मरानों में इस क़द्र वसीअ् मम्लकत का मालिक कोई और नहीं हुवा.... सिवाए बिलादे मग़रिब के तमाम मिंबरों पर उनका नाम ख़ुत्बे में लिया जाता था।

وكان من احسن الملوک سیرة حتی كان یلقب بالسلطان العادل.

तर्जमा : उनकी सीरत व किरदार निहायत अअ्ला और ख़ूबसूरत था यहाँ तक के उन्हें 'सुल्ताने आदिल' का लक़ब दिया गया। (वफिय्यातुल अअ्यान जि.४,४८५)

इमाम ज़हबी लिखते हैं :

تملک من المدأمن مالم یملکه سلطان....وکان حسن السیرة

तर्जमा : ये इतने शहरों के मालिक थे के कोई बादशाह इस क़द्र मालिक ना हुवा। और उनका किरदार निहायत अअ्ला था। (सियरू अअ्लामिन-नुबला, जि.१४/१४३)

इमाम इमामुद्दीन मुअय्यद (७३२ हि.) ने लिखा है :

وکان من احسن الناس صورة و معنی....و حملت له ملوک الروم الجزیة.

तर्जमा : ये ज़ाहिर व बातिन में निहायत अअ्ला इन्सान थे.... रूम के बादशाहों के पास से उन्हें जिज़्या (टॅक्स) आता था। (अल-मुख़तसर फी अख़्बारिल बशर, जि.२, स.२०३)

इन चारों अक़्वाल से ये साबित होता है के इसका आग़ाज़ करने वाले ना फातिमी शीआ थे और ना ज़ालिम सुल्तान व फासिक़ उलमा। बल्के ये सबके सब मुतदय्यिन (दीनदार) आलिम थे। इस अमल को बिद्अत कहने पर ज़्यादा ज़ोर देने की वजह शायद ये हो सकती है के ये सब के सब मुक़ल्लिद थे।

मीलाद-ए-मुस्तफा की ख़ुशी मनाने पर अज्र

فلمّا مات ابو لهب اریه بعض اهله بشّر حیبة قال له ماذا لقیت

قال ابو لهب لم الق بعد کم غیر انی سُقیتُ فی هذا بعتاقتی ثویبة.

तर्जमा : जब अबू लहब मर गया तो उसके किसी रिश्तेदार ने ख़्वाब में उसको बुरी हालत में देखा तो पूछा के क्या हाल है? अबू लहब ने कहा के तुम्हारे बाद मुझे कभी आराम नहीं मिला सिर्फ ज़रा सा पानी मुझे पिलाया गया क्योंके मैंने सुवैबह को आज़ाद कर दिया था। (बुख़ारी किताबुन्निकाह, हदीस नं. ५१०१)

इस हदीस की शरह करते हुए इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने फत्हुल बारी में हज़रत अब्बास का क़ौल नक़ल किया है :

لما مات ابو لهب رایته فی منامی بعد حول فی شرّ حال فقال ما لقیت بعد کم راحة الّا ان العذاب یخفّف عنی کلّ یوم اثنین قال وذلک انّ النبی ﷺ ولد یوم الاثنین وکانت ثویبة بشّرت ابا لهب بمولده فاعتقها

तर्जमा : जब अबू लहब मर गया, मैंने एक साल बाद ख़्वाब में उसे बुरी हालत में देखा तो उसने कहा के तुम्हारी जुदाई के बाद मैंने राहत नहीं पाई मगर हर पीर के दिन मुझ से अज़ाब में कमी की जाती है। रावी कहते हैं और ये इस वजह से है के पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पैदा हुए और सुवैबह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश की ख़बर अबू लहब को दी तो उसने सुवैबह को आज़ाद कर दिया।

इस वाक़ेआ से उलमाए उम्मत ने इस पर इस्तेदलाल किया है के हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत की ख़ुशी अगर काफिर भी करे तो उसे भी अज्र मिलता है और उसे महरूम नहीं रखा जाता। और अगर कोई मुसलमान करे तो क्योंकर महरूम किया जाएगा।

इस रिवायत से मुतअल्लिक़ शुब्हात

१. ये रिवायत मुरसल है।
२. ये ख़्वाब का वाक़ेआ है और ख़्वाब हुज्जते शरई नहीं।
३. ये रिवायत क़ुरआनी आयात के ख़िलाफ है।

चुनान्चे इब्ने हजर अस्क़लानी का क़ौल मुन्किरीन पेश करते हैं:

اجیب اوّلا بان الخبر مرسل ارسله عروة ولم یذکر من حدّث به وعلیٰ تقدیر ان یکون موصولاً فالذی فی الخبر رؤیا منام فلا حجّة فیه.

तर्जमा : इस हदीस के सिलसिले में पहला जवाब तो ये है के ये हदीस मुरसल है। उरवा ने इसको ''मुरसलन'' रिवायत किया है। उरवा ने ये ज़िक्र नहीं किया के ये हदीस उनसे किस ने रिवायत की। अगर ये मान लिया जाए के ये हदीस मौसूल है तब भी इस हदीस में एक ख़्वाब की बात बयान की जा रही है। और किसी का ख़्वाब शरीअत में हुज्जत नहीं होता।

जवाब से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें के महफिले मीलाद के लिए ये रिवायत हमारे नज़दीक बुनियादी हुज्जत नहीं। इस पर किताब व सुन्नत से दलाइल ऊपर बयान हो चुके हैं। ये रिवायत तो बतौरे ताईद लाई जाती है।

(**हदीसे मुरसल :** सनद के आख़री हिस्से से कोई रावी छूटा हो तो उस हदीस को ''मुरसल'' कहते हैं और इस अमल को ''इरसाल'' कहते हैं)

शुबह नं. ७ : ये रिवायत मुरसल है इसलिए क़ाबिले क़बूल नहीं।

शुबह का इज़ाला :

हदीसे मुरसल के हुज्जत (दलील) होने पर उलमा के अक़्वाल

१. इमाम जलालद्दीन सुयूती इमाम इब्ने जरीर के हवाले से लिखते हैं :
तर्जमा : तमाम ताबईन मुरसल के मक़बूल होने पर मुत्तफिक़ हैं। उनमें किसी का इन्कार मन्कूल नहीं। इसके बाद दो सौ साल तक किसी भी इमाम ने इन्कार नहीं किया। (तद्रीबुर्रावी, जि. १, स.१९८)

२. शारेह मुस्लिम इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं :
इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद और अक्सर फुक़हा के नज़दीक मुरसल क़ाबिले इस्तेदलाल है। और इमाम शाफई का मसलक ये है के जब मुरसल की ताईद किसी दूसरे ज़रीए से हो जाए तो क़ाबिले इस्तेदलाल है। (मुक़द्दमा शरहे मुस्लिम)

३. शैख़ जमालुद्दीन क़ास्मी लिखते हैं : मुरसल हर हाल में हुज्जत है। ये इमामे मालिक, इमाम अबू हनीफा और इमाम नववी की रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद, इब्ने क़ैय्यिम और इब्ने कसीर का क़ौल है। (क़वाइदुत्तहदीस, स.१३४)

४. शैख़ अब्दुल हक़्क़ मुहद्दिसे देहल्वी फरमाते हैं :
इरसाल कमाले वुसूक़ व एतेमाद की वजह से होता है। चूँके गुफ्तगू सिक़ह (क़ाबिले भरोसा) में हो रही है और अगर वो रिवायत सिक़ह के नज़दीक सहीह ना होती तो वो उसे रिवायत करते वक्त ये ना कहते के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ये फरमाया है। (मुक़द्दमा अशिअ्अतुल्लम्आत)

५. डॉक्टर महमूद तह्हान : (उस्ताज़ कुल्लियतुश्शरीअह जामिआ इस्लामिया मदीना मुनव्वरा) ने तीन अक़्वाल ज़िक्र किए हैं। उनमें से दूसरा तीसरा इन अल्फाज़ में बयान करते हैं।

दूसरा क़ौल ये है के मुरसल सहीह और क़ाबिले इस्तेदलाल हाती है। ये तीन अइम्मा इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और मशहूर क़ौल के मुताबिक़ इमाम अहमद का क़ौल है। बशर्तेके इरसाल करने वाला सिक़ह हो। और सिक़ह से इरसाल करता हो।

तीसरा क़ौल ये है के मुरसल शराइत के साथ मक़बूल होगी। ये इमाम शाफई और दीगर अहले इल्म की राय है। (तैसीरू मुस्तलहिल हदीस, स.७२)

६. इमाम अबू दाऊद : मरासिल से अक्सर अस्लाफ मसलन सुफियान सौरी, मालिक और औज़ाई जैसे लोग इस्तेदलाल करते थे। (रिसालतु अबी दाऊद इला अह्लि मक्कह, स.२४)

मुरसल के बारे में मोअ्तदिल (दरमियानी) राए : अगर इरसाल करने वाले के बारे में मालूम व मअ्रूफ है के सिक़ह मशहूर से ही इरसाल करता है तो फिर उसकी रिवायत मक़बूल होगी वरना नहीं।

७. हाफिज़ सलाहुद्दीन अबू सईद ख़लील (७६१ हि.) लिखते हैं :
मुरसल रिवायत के बारे में दस अक़्वाल है। सातवाँ क़ौल ये है के इरसाल करने वाले की आदत अगर मालूम हो के वो सिक़ह से ही इरसाल करता है तो उसकी रिवायत मक़बूल होगी वरना नहीं। और यही क़ौल मुख़्तार है। (जामिउत्तहसील,४८) यही वजह है के इमाम शाफई फरमाते हैं हज़रत सईद बिन मुसय्यब की मुरसल रिवायतें मेरे नज़दीक मक़बूल है। क्युँके वो सिक़ह से ही इरसाल करते हैं।

८. शैख़ क़फ्फाल मरवज़ी इमाम शाफई के हवाले से लिखते हैं :
इब्ने मुसय्यब का इरसाल हमारे नज़दीक हुज्जत है। (जामिउत्तहसील् फी अहकामिल मरासिल, स.४६)

९. अबू ज़ैद ज़मीर : المرسل حجّة عندنا (नमाज़ के दस मसाइल, स.१०)
तर्जमा : मुरसल हमारे नज़दीक मक़बूल है।

तअज्जुब है ग़ैर मुक़ल्लिदीन अपने मस्अले को साबित करने के लिए मुरसल की हुज्जियत पर दलीलें लाते हैं और ईद-मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताईद के लिए मुरसल को नामक़बूल ठहराते हैं।

बाज़ ख़्वाबों के दुरूस्त होने पर
किताब व सुन्नत से दलाइल

शुबह नं.८ : ये ख़्वाब का मामला है और ख़्वाब हुज्जते शरई नहीं होता।

शुबह का इज़ाला : इस सिलसिले में अर्ज़ ये है के ग़ैरे नबी का ख़्वाब वाक़ेअतन हुज्जते शरई नहीं होता। और ना ही हम इस रिवायत को बतौरे हुज्जत ज़िक्र करते हैं। बलके हम तो बतौरे ताईद लाते हैं लेकिन ये कहाँ लाज़िम आता है के इससे कोई फायदा ही ना हो। ये बिऔनिही उसी तरह है जिस तरह ग़ैर मुक़ल्लिदीन इमामे बुख़ारी की फज़ीलते मुसल्लमा की ताईद में आपका ख़्वाब बयान करते हैं।

देवबंदी मक्तब-ए-फिक्र से तअल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी ने अस्लाफ और अपने अकाबिर के ख़्वाबों पर मुश्तमिल एक मुस्तक़िल किताब बनाम ''सीरतुन्नबी बाद अज़ विसालुन्नबी'' तहरीर की है।

- कुरआन ने फिल जुम्ला ग़ैर मुस्लिम के ख़्वाब का सच्चा होना और उस से बाज़ हक़ाइक़ का पता चलना बयान किया है। सूरह यूसूफ (आयत नं. ३६ से ४२) में है के क़ैद में हज़रत युसूफ अलैहिस्सलाम के दो साथी थे। उन्हें ख़्वाब आया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया। आपने उनको तअ्बीर से आगाह फरमाया। जो सच्ची साबित हुई। आपने उनके ख़्वाब सुन्ने के बाद उन्हें तौहीद व ईमान की तरफ दावत दी इससे पता चलता है के वो दोनों हालते कुफ्र में थे।

अहादीसे नबवीया में है के रूया सॉलेहा (नेक ख़्वाबों) को भी दीन में अहमियत और फज़ीलत हासिल है।

ग़ैरे नबी के ख़्वाब के सहीह होने से मुतअल्लिक़ अहादीस

बुख़ारी शरीफ में है

(لم يبق من النبوة الّا المبشّرات قالوا وماالمبشّرات قال الرؤيا الصالحة)

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया के नबुव्वत के आसार में से अब कुछ बाक़ी नहीं रहा। मगर मुबश्शिरात (यानी नबुव्वत मेरे बाद ख़त्म हो जाएगी और आइंदा होने वाले वाक़ेआत मालूम करने का कोई ज़रीया मुबश्शिरात के सिवा बाक़ी नहीं रहेगा) सहाबा किराम ने दरयाफ्त किया के मुबश्शिरात क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छे ख़्वाब (यानी ख़ुश्ख़बरी देने वाले ख़्वाब) (बुख़ारी : हदीस नं. ६९९०)

عن انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ قال "الرویا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعین جزأ من النبّوة

तर्जमा : हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है के अच्छे आदमी का अच्छा ख़्वाब नुबुव्वत का छ्यालिसवाँ हिस्सा है।
(बुख़ारी, किताबुत्तअ्बीर, हदीस नं. ६९८३)

३. हज़रत उम्मुल अला का क़ौल :

رایت لعثمان عینا تجری فاخبرت رسول الله ﷺ فقال ذلک عمله

तर्जमा : हज़रत उम्मुल अला कहती हैं के मैंने हज़रत उस्मान बिन मज़्ऊन को ख़्वाब में देखा के वो एक नहर के किनारे बैठे हैं तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़्वाब बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया वो उसका अमल था। (बुख़ारी हदीस नं. ७००४)

इसके इलवा बुख़ारी शरीफ में हदीस नं. ७०१०, ७०१४, ७०१५ और ७०१६ में भी ग़ैरे नबी के ख़्वाब के सहीह होने का इस्बात किया गया है।

- इस ख़्वाब को हज़रत अब्बास ने हालते बेदारी में बयान किया है। अब ये सिर्फ ख़्वाब नहीं बल्के सहाबी-ए-रसूल का क़ौल है। जो के ग़ैर क़यासी और ग़ैर इज्तेहादी होने की वजह से मरफूअ् का दर्जा रखता है।

अगर मआज़ल्लाह ये ग़लत क़िस्म का ख़्वाब होता तो हज़रते अब्बास इसे बयान ही ना करते और अगर उन्होंने बयान कर ही दिया था तो दीगर सहाबा व ताबईन इसकी तरदीद करते। हालांके ऐसी कोई बात कुतुबे अहादीस में नहीं। बल्के सभी इसे नक़ल करके इससे मसाइल का इस्तेंबात करते हैं।

शुबह नं. ९ : हज़रत अब्बास का ये ख़्वाब इसलिए क़ाबिले एतेबार नहीं के उस वक्त वो हालते कुफ्र में थे।

शुबह का इज़ाला : इसका जवाब ये है के अव्वलन एक रिवायत के मुताबिक वो इस्लाम ला चुके थे। क्योंके ख़्वाब का वाक़ेआ जंगे बद्र के दो सवाल बाद का है। इसलिए अबू लहब बद्र के एक साल बाद मरा। फिर एक साल बाद ख़्वाब में हज़रत अब्बास से उसकी मुलाक़ात हुई। हालांके जब हज़रत अब्बास बद्र में शिरकत के लिए आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहाबा से फरमा दिया था के जो अब्बास बिन अब्दुलमुत्तलिब को पाए वो उन्हें क़त्ल ना

करे क्यूँके वो मजबूरन शरीक हुए हैं। (अल-कामिलु फित्तारीख़, जि.२, स.१२८)

और अगर इनको हालते कुफ्र पर तस्लीम भी कर लिया जाए तब भी ये रिवायत क़ाबिले क़ुबूल है क्योंके 'वक्ते तहम्मुल' (हदीस सुनते वक्त) इस्लाम शर्त नहीं बल्के ''वक़्ते अदा'' (हदीस बयान करते वक्त) शर्त है। और जब ताबईन ने आप से ये बात सुनी थी तो उस वक्त यक़ीनन आप मुसलमान थे मुहद्दिसीन ने ये उसूल बयान किया है के अगर किसी शख़्स ने हालते कुफ्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई बात सुनी फिर उसने उसे हालते इस्लाम में बयान किया। ख़्वाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के विसाल के बाद बयान किया हो तब भी वो मक़बूल है। हाँ अगर उसने ज़ाहिरी हयात में इस्लाम क़ुबूल कर लिया तो सहाबी भी क़रार पाएगा वरना वो ताबई होगा।

शैख़ अहमद मुहम्मद शाकिर शरहे अलफियह में लिखते हैं :

वो शख़्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस्लाम लाने से क़ब्ल कोई बात सुनी और फिर आप के विसाल के बाद वो इस्लाम लाया मसलन तन्नूख़ी हरकुल का क़ासिद तो अब वो अगरचे ताबई है मगर हदीस उनकी मुत्तसिल होगी। चूँके एतेबार रिवायत का है यानी उन्होंने वो रिवायत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से की है अगरचे बवक्ते तहम्मुल (हदीस सुनते वक्त) मुसलमान ना थे। लेकिन बवक्ते अदा (हदीस बयान करते वक्त) तो मुसलमान थे। (शरहे अलफिय, स. २६)

शुबह नं. १० : ये रिवायत दर्जे ज़ेल कुरआनी आयत के मनाफी (मुख़ालिफ) है :

فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون

तर्जमा : उनके अज़ाब में तख़्फीफ ना की जाएगी और ना की उनकी मदद की जाएगी। (सूरह बक़रह आयत, नं. ८६)

واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم ينظرون

तर्जमा : और जब ज़ालिम लोग अज़ाब देखेंगे तो उनके अज़ाब में तख़्फीफ नहीं कही जाएगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। (सुरे नहल, आयत ८५)

जब कुरआन ने वाज़ेह कर दिया के कुफ्फार के अअ्माल ज़ाए (बेकार) हैं उन पर कोई अज्र नहीं और ना ही उनके अज़ाब में तख़्फीफ हो सकती है। तो रिवायते मज़कूरा किस तरह क़ाबिले क़ुबूल होगी ? चूँके इसमें काफिर अबू

लहब के लिए दोनों चीज़ों का इस्बात (साबित किया गया) है। इसके अमल पर अज्र है और उसके अज़ाब में तख़्फीफ हो रही है।

शुबह का इज़ाला : यहाँ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए के महफिले मीलाद के तमाम मुख़ालिफीन हुज़ूर के चचा अबू तालिब के बारे में मानते हैं के उन्होंने रिसालते मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत की थी तो अल्लाह तआला ने उनके अज़ाब में तख़्फीफ फरमा दी थी। हालांके मुख़ालिफीन के नज़दीक वो भी हालते कुफ्र पर ही फौत हुए थे। मुस्लिम शरीफ में है के हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया के या रसूलल्लाह ! क्या आपकी ख़िदमत के सिले में अबू तालिब को कुछ नफा हुवा ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हाँ अगर मैं न होता तो जहन्नम के निचले तबक़े में होते, चूँके उन्होंने मेरी ख़िदमत की है अल्लाह तआला ने उसके सिले में अब उनके अज़ाब में इतनी तख़्फीफ कर दी है उनके फक़्त पावों को तक्लीफ पहोंचती है। (मुस्लिम, १/११५)

तो जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एक चचा अबू तालिब के अज़ाब में तख़्फीफ हो जाना इन आयाते कुरआनी के मुख़ालिफ नहीं तो इसी तरह अबू लहब के अज़ाब में तख़्फीफ होना भी इन आयात के मनाफी (ख़िलाफ) नहीं। हालांके मुख़ालिफीन के नज़दीक दोनों कुफ्र पर फौत होने में यक्साँ हैं।

इस बाब में अइम्मा किराम की तस्रीहात

हम इब्तेदा में इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी की तहरीर पेश करते हैं जिनकी आधी अधूरी इबारत सुनाकर इल्मी ख़ियानत करते हुए लोगों को गुमराह किया जाता है के उनका क़ौल ये है के ये रिवायत कुरआन के ख़िलाफ है मगर आगे उनका तत्बीक़ देना और ये फैसला सादिर करना के ये काफिर की बात नहीं बल्के ये हबीबे ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के एहतेराम और इक्राम का मुआमला है। नक़ल नहीं किया जाता।

१. इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं :

وفی الحدیث دلالة علی ان الکافر قد ینفعه العمل الصالح فی الآخرة؛ لکنه مخالف لظاهر القرآن قال الله تعالٰی (وَقَدِمْنَا اِلٰی مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) واجیب اولا بان الخبر مرسل ارسله عروة ولم یذکر من حدثه به، وعلی تقدیر ان یکون موصولا فالذي في الخبر رویا منام فلا حجة فیه ، ولعل الذی رآها لم یکن اذ ذاک اسلم بعد فلا یحتج به، وثانیاً علی تقدیر القبول فیحتمل أن یکون ما یتعلق

بالنبی ﷺ مخصوصاً من ذلک، بدلیل قصة ابی طالب کما تقدم انه خفف عنه فنقل من الغمرات الی الضحضاح. وقال البیهقی: ما ورد من بطلان الخیر للکفار فمعناه انهم لایکون لهم التخلص من النار ولادخول الجنة، ویجوزان یخفف عنهم من العذاب الذي یستوجبونه علی ما ارتکبوه من الجرائم سوی الکفر بما عملوه من الخیرات. واما عیاض فقال: انعقد الاجماع علی ان الکفار لا تنفعهم اعمالهم ولا یثابون علیها بنعیم ولا تخفیف عذاب، وان کان بعضهم اشد عذابا من بعض. قلت: وهذا لایرد الاحتمال الذي ذکره البیهقی، فان جمیع ما ورد من ذلک فیما یتعلق بذنب الکفر، واما ذنب غیر الکفر فما المانع من تخفیفه ؟ وقال القرطبي: هذا التخفیف خاص بهذا وبمن ورد النص فیه. وقال ابن المنیر فی الحاشیة: هنا قضیتان احد هما محال وهي اعتبار طاعة الکافر مع کفره لان شرط الطاعة ان تقع بقصد صحیح، وهذا مفقود من الکافر. الثانیة اثابة الکافر علی بعض الاعمال تفضلا من الله تعالی، وهذا لایحیله العقل، فاذا تقرر ذلک لم یکن عتق ابي لهب لثویبة قربة معتبرة، ویجوز ان یتفضل الله علیه بما شاء کما تفضل علی ابي طالب، والمتبع فی ذلک التوقیف نفیا واثباتاً قلت: وتتمة هذا ان یقع التفضل المذکور اکراما لمن وقع من الکافر البر له ونحو ذلک ، والله اعلم.

तर्जमा : इस हदीस में इस बात पर दलालत है के बाज़ औक़ात आख़ेरत में काफिर का अमले सॉलेह भी उसे मुफीद हो सकता है लेकिन ये बात ज़ाहिर क़ुरआन के ख़िलाफ है। अल्लाह तआला का फरमान है :

وَ قَدِمْنَا اِلٰی مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَنْثُوْرَاً

तर्जमा : और (फिर) हम उनके अअ्माल की तरफ मुतवज्जह होंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में किए थे तो हम उन्हें बिखरा हुवा ग़ुबार बना देंगे। (अल-फ़ुरक़ान आयत, २३)

अव्वलन इसका जवाब ये दिया गया है के ये ख़बर मुरसल है क्योंके उरवा ने ये ज़िक्र नहीं किया के किसने उन्हे बयान किया अगर इसे मुत्तसिल तस्लीम कर भी लिया जाए तो ये एक ख़्वाब का मामला है शायद ख़्वाब देखने वाला इसके बाद मुसलमान हुवा हो। लेहाज़ा ये हुज्जत नहीं। दूसरी बात ये के अगर हम इसे क़ुबूल भी कर लें तो इसमें एहतेमाल ये है के ये हर काफिर का मामला नहीं बल्के सिर्फ रिसालते मआब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ख़ास

है। इस पर क़िस्स-ए-अबूतालिब दलालत करता है जो पहले गुज़रा के उन पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़िदमत की वजह से तख़्फीफ हुई तो वो जहन्नुम के निचले तब्क़े से मुन्तक़िल हो कर सबसे ऊपर आगए । इमाम बैहक़ी ने फरमाया के काफिर के बारे में जो वारिद हुवा है के इसका अमले ख़ैर बातिल हुवा है इसका मअ्ना ये है के काफिर दोज़ख़ से नजात पा कर जन्नत में दाख़िल ना होगा। अलबत्ता ये मुम्किन है के वो अपने अच्छे अअ्माल की वजह से कुफ्र के इलावा बाक़ी जराइम के अज़ाब में तख़फीफ पा ले। क़ाज़ी अयाज़ कहते है। इस बात पर इज्माअ् है के काफिर के अअ्माल इसे नफा नहीं देंगे और इन्हें नेअ्मतें हासिल नहीं होंगी और ना अज़ाब में तख़फीफ होगी। अगरचे उनके अज़ाब में तफावुत (फर्क़) है। मैं (इब्ने हजर) कहता हूँ ये बात इस एहतेमाल को रद्द नहीं कर सकती जिसका ज़िक्र इमाम बैहक़ी ने किया के जो कुछ वारिद है वो कुफ्र के साथ मुतअल्लिक़ है। कुफ्र के इलावा गुनाहों के अज़ाब में तख़फीफ से कौन मानेअ् (रोकने वाला) है? और इमाम क़ुर्तुबी ने फरमाया के अज़ाब में तख़्फीफ अबू लहब के साथ और उस शख़्स के साथ मख़्सूस है जिसके बारे में नस (आयत या हदीस) वारिद है। (यानी हर काफिर के लिए नहीं)

वहाँ इब्ने मुनीर ने हाशिये में लिखा है के यहाँ दो मुआमलात हैं। इनमें से एक मुहाल (नामुम्किन) है। और वो ये के इताअ्ते काफिर का एतेबार उसके कुफ्र के साथ किया जाए। क्योंके इताअत के लिए शर्त है के इसमें क़स्द (निय्यत) सहीह हो। हालांके ये काफिर में नहीं पाया जाता। दूसरा ये के काफिर को उसके किसी अमल पर महज़ बतौर फज़्ले इलाही फायदा हासिल हो इसे अक़्ल मुहाल (नामुम्किन) नहीं समझती। जब ये ज़ाब्ते (क़ायदे) वाज़ेह हो गए तो जानना चाहिए के अगरचे अबू लहब का सुवैबह को आज़ाद करना उसके कुफ्र की वजह से ''मक़बूल इताअत'' नहीं मगर अल्लाह तआला ने अपने फज़्ल से इस पर तख़्फीफ फरमाई हो जैसे के उसने अबू तालिब के बारे में फज़्ल फरमाया। हम अज़ाब मानने या ना मानने दोनों में शरीअत के ताबेअ् हैं। (हमारी अक़्ल यहाँ नहीं चल सकती) **मैं** (इब्ने हजर) **कहता हूँ के इब्ने मुनीर की तक़रीर का ख़ुलासा ये है के अल्लाह तआला ने ये फज़्ले मज़कूर** (अबू लहब पर अज़ाब में तख़्फीफ) **इस ज़ाते अक़दस के इक्राम में की है जिसकी ख़ातिर काफिर से नेकी सादिर हुई थी।** (यानी इसमें सरवरे आलम का इक्राम है ना के काफिर का) (फत्हुल बारी हदीस नं. ५१०१ के तहत)

२. इमाम बद्रुद्दीन ऐनी ने भी यही गुफ्तगू की है अलबत्ता इसमें इज़ाफा है के इस हदीस से ये मसअला वाज़ेह हो रहा है के ''बाज़ औक़ात काफिर को उन अअ्माल पर सवाब मिलता है जो अहले ईमान के लिए क़ुरबत का दर्जा रखते हैं। जैसे के अबू तालिब के हक़ में फर्क़ सिर्फ ये है के अबू लहब पर अबू तालिब से कम तख़्फीफ है क्योंके अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मदद व हिफाज़त की और अबू लहब ने अदावत की थी।'' (उम्दतुल क़ारी, हदीस नं. ५१०१ के तहत)

३. इमाम किरमानी :

العمل الصالح والخير الذى بالرسول ﷺ من ذلک ان ابا طالب ايضا ينتفع بتخفيف العذاب

तर्जमा : काफिर का वो अमल और भलाई जिसका तअल्लुक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हों उस पर काफिर को अज्र व सवाब दिया जाता है। जैसा के अबू तालिब को अज़ाब में कमी से नफा पहोंचता है। (शरहे बुख़ारी, इमाम किरमानी, जि. १९, स.७९)

४. इमाम बग़वी : هذا خاص به اكراما له ﷺ

तर्जमा : अबू लहब के अज़ाब में तख़्फीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इक्राम की वजह से है। (शरहुस्सुन्नह, जि. ९, स.७६)

५. अल्लामा अब्दुल हय्यि लखनवी : ने भी अज़ाब में तख़्फीफ का ज़िक्र फरमाया है। (फतावा अब्दुल हय्यि, जि. २, स.२८२)

अज़ाब में तख़्फीफ से मुतअल्लिक़ वहाबी उलमा के अक़्वाल

६. वहाबियों के मोअ्तमद अलैह शैख़ इब्ने क़य्यिम लिखते हैं :

فلم يضيع الله ذلک له وسقاه بعد موته فى النقرة اللتى فى اصل ابهامه

अल्लाह तआला ने उसका (अबू लहब का) ये अमल ज़ाए नहीं फरमाया और मौत के बाद भी उसके के उस अंगूठे से उसे पानी दिया जाता है। (तुह्फतुल मौदूदि बि-अहकामिल-मौलूदि, स.१९)

७. ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम उस्मान बिन जुम्आ (ज़ुमैरिया) ये लिखते हैं :

وهذا النفع انما هو نقصان من العذاب

तर्जमा : ये नफा अज़ाब में तख़्फीफ की सूरत में था। (हाशिया तुह्फतुल मौदूद, स.१९)

८. शैख़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नज्दी ने इस रिवायत से जवाज़े मीलाद पर इस्तेदलाल करते हुए अल्लामा इब्ने जौज़ी का क़ौल नक़्ल किया है:

قال ابن الجوزی: فاذا کان هذا أبو لهب الکافر الذی نزل القرآن بذمه جوزی بفرحه لیلة مولد النبی صلی الله علیه وسلم به فما حال المسلم الموحد من أمته صلی الله علیه وسلم یسر بمولده. (مختصر سیرة الرسول ﷺ، ج ۱ ص ۱۰)

तर्जमा : इब्ने जौज़ी ने कहा : जब काफिर अबू लहब के जिस की मज़म्मत में क़ुरआन करीम की सूरत नाज़िल हुई उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व ल्लम की विलादत की शब ख़ुश होने पर सवाब दिया जा रहा है तो आप की उम्मत का मोमिन मुवह्हिद जब आपकी विलादत पर इज़्हारे मसर्रत करता है तो वो किस क़द्र नवाज़ा जाएगा।

९. मुफ्ती रशीद अहमद लुधियान्वी : जब अबूलहब जैसे काफिर के लिए मीलादुन्नबी की ख़ुशी की वजह से अज़ाब में तख़्फीफ हो गई तो जो कोई उम्मती आप अलैहिस्सलाम की विलादत की ख़ुशी करे और हस्बे वुस्अत आपकी मुहब्बत में ख़र्च करे तो क्युँकर अअ्ला मरातिब हासिल ना करेगा। (अह्सनुल फतावा, जि.१, स.३४७)

इन्अेक़ादे मीलाद पर अज्र से मुतअल्लिक़ शैख़ इब्ने तैमिया की राय

मुहब्बत व तअ्ज़ीम और इज्तेहाद की वजह से अज्र :

و کذلک ما یحدثه بعض الناس اِمّا مضاهاة للنصاری فی میلاد عیسیٰ علیه السلام وامّا محبة للنبی ﷺ و تعظیماً له والله قد یثیبهم علی هذا المحبة والاجتهاد.

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۲۴۲)

तर्जमा : बाज़ लोग जो महफिले मीलाद का इन्अेक़ाद करते हैं उनका या तो मक़सद ईसाइयों के साथ मुशाबहत है जिस तरह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन मनाते है। या मक़सद सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत व तअ्ज़ीम है। अल्लाह तआला उन्हें इस मुहब्बत और इज्तेहाद पर सवाब अता फरमाएगा।

हुस्ने क़स्द पर अज्र :

واكثر هولاء الذين تجدونهم حرصاء علىٰ امثال هذا البدع مع مالهم فيها من حسن القصد والاجتهاد الذى يرجىٰ لهم به المثوبة

तर्जमा : उनमें से अक्सर लोगों को तुम इस तरह बिद्अतों पर हरीस पाओगे लेकिन उसके साथ उनके ऐसी हुस्ने निय्यत व क़स्द और इज्तेहाद पर उन्हें सवाब मिलने की उम्मीद है। (इक़्तेज़ाउस-सिरातिल मुस्तक़ीम, स. २४२,२४३)

महफिले मीलाद और अकाबिरे देवबंद व ग़ैर मुक़ल्लिदीन

● अकाबिर उलमाए देवबंद के पीर व मुरशिद **हाजी इम्दादुल्लाह मुहाजिरे मक्की:** ''फक़ीर का मशरब ये है के महफिले मौलूद में शरीक होता हूँ बल्के बरकात का ज़रीया समझ कर हर साल मुन्अक़िद करता हूँ और क़ियाम में लुत्फ व लज़्ज़त पाता हूँ।'' एक जगह लिखते हैं :

''रहा ये अक़ीदा के मज्लिसे मौलूद में हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रौनक़ अफरोज़ होते हैं तो इस अक़ीदे को कुफ्र व शिर्क कहना हद से बढना है। ये बात अक़लन व नक़लन मुम्किन है, बल्के बाज़ मक़ामात पर वाक़ेअ् हो भी जाती है। अगर कोई शुबह करे के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को कैसे इल्म हुवा? आप कई जगह कैसे तशरीफ फरमा हुए? तो ये शुबह बहोत कमज़ोर शुबह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इल्म व रूहानियत की वुस्अत के आगे जो सहीह रिवायात से और अहले कश्फ के मुशाहेदे से साबित है ये अद्ना सी बात है।''(फैसला-ए-हफ्त मस्अला, ६,७)

● **नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली :** इसमें क्या बुराई है के अगर हर रोज़ ज़िक्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहीं कर सकते तो हर उस्बूअ् (हफ्ता) या हर माह में इल्तेज़ाम इसका करें के किसी ना किसी दिन बैठ कर ज़िक्र या वअ्ज़ सीरत व सिम्त व दिल व हुदा व विलादत व वफात आँहज़रत सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम का करें फिर अय्याम माहे रबीउल अव्वल को भी ख़ाली ना छोडें और इन रिवायात व अख़बार व आसार को पढे पढाएँ जो सहीह तौर पर साबित हैं।

आगे लिखते हैं : जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मीलाद का हाल सुन कर फरहत हासिल ना हो और शुक्र ख़ुदा का हुसूल पर इस नेअ्मत के ना करे वो मुसलमान नहीं। (अश्शमामतुल अंबरिय्यह फी मौलदिल ख़ैरिल बरिय्यह, स.५)

नवीब वहीदुज़्ज़माँ (ग़ैर मुक़ल्लिद) :

وكذلك من يزجر الناس بالعنف والتشدد على سماع الغناء أو المزامير أو عقد مجلس للميلاد أو قراءة الفاتحة المرسومة ويفسقهم أو يكفرهم على هذا.

तर्जमा : ऐसे ही लोगों को सिमाअ्, ग़िना या मज़ामीर या महफिले मीलाद मुन्अक़िद करने या मुरव्वजह फातेहा पढने पर डाँट डपट करना या उनको फासिक़ या काफिर क़रार देना और तशद्दुद करना नेकी की बजाए गुनाह हासिल करना है।। (मीलादुन्नबी अइम्मा और मुहद्दिसीन की नज़र में, स.३८८)

शैख़ रशीद अहमद गंगोही : बच्चों का सालगिरा मनाने और उसमें खाना खिलाने से मुतअल्लिक़ सवाल के जवाब में लिखते हैं सालगिरा याद दाश्ते उमरे अत्फाल (बच्चों की उमर) के वासते कुछ हर्ज मालूम नहीं होता और बाद साल के खाना लिवज्हिल्लाहि तआला खिलाना भी दुरूस्त है। (फतावा रशीदिया, स.५५४)

मौलाना मुहम्मद इक़्बाल (मदीना मुनव्वरा) : लेकिन आज कल सूरत कुछ ऐसी हो गई है के रसूमात और बिद्आत के अंदेशा-ए-वुक़ूअ् के मुक़ाबले में इर्तेदादे ख़फी में लोग मुब्तला हो रहे हैं और मोहब्बत व अज़्मते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कमी की वजह से इहानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक नौबत पहोंच रही है जो के कुफ्रे सरीह है यानी गढे के ख़ौफ से गहरे कुवें में गिर रहे हैं इसलिए बाज़ दूसरे मस्लेहत अंदेश उलमा के नज़दीक दीनी मसलेहत इन मजालीस के क़याम में है के बिद्अत के ख़ौफ के मुक़ाबले में वुक़ूअ् कुफ्र ज़्यादा सख़्त है।

(अल्उतूरुल मज्मूअह फी ज़िक्रीन्नबीय्यिल हबीब , २५)

महेफिले मीलाद पर उल्माए उम्मत की चंद किताबों के नाम

१. हसनुल मकसद फी अमलिल् मौलिद	इमाम जलालुद्दीन सुयूती (९१० हि.)
२. जुज़् फिल् मौदिलशरीफ	इमाम सखावी (९०२ हि.)
३. अलमौरिदुर्रवी फिल् मौलिदिन्नबवी	मुल्ला अली क़ारी (१०१४ हि.)
४. मौलिदुन्नबी	इब्ने कसीर (७७४ हि.)
५. अलमौरिदुल हनी फिल मौलिदनिस्सनी	हाफिज़ इराक़ी (८०८ हि.)
६. जामिउल आसार फी मौलिदिन्नबी.....	हाफिज़ इब्ने नासिरूद्दीन दमिश्क़ी (८४२)
७. अल्लफ्ज़ुर्राइक़ि फी मौलिदि.....	हाफिज़ इब्ने नासिरूद्दीन दमिश्क़ी (८४२)
८. मौरिदुस्सादी फी मौलि-दिल हादी	हाफिज़ इब्ने नासिरूद्दीन दमिश्क़ी (८४२)
९. उर्फुत्तअ्रीफ बिल मौलिदिश्शरीफ	इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद अलजज़्री (६६०)
१०. अल-मीलादुन्नबी/मौलिदुल अरूस..	इमाम इब्नुल जौज़ी (५९७ हि.)
११. अत्तन्वीर फी मौलिदिस्सिराज....	इमाम अबु ख़त्ताब इब्ने दिह्या कल्बी (६३३)
१२. नज़्मुल बदीअ् फी मौलिदिन्नबी....	इमाम यूसुफ बिन इस्माईल नब्हानी (१३५०)
१३. अल-इहतिफाल बिल मौलिदिन्नबवी..	मुफ्ती आज़म मक्का अल्लामा मुहम्मद अलवी
१४. मौलिदुन्नबी स.	शैख़ सय्यद जअ्फर अलबरज़न्जी (११७७)
१५. मौलिदुदबीअ्	इमाम इब्नुद्दबीअ् शैबानी (९४४)
१६. सिम्तुद्दुरर्रि फी इख़्बार.....	इमाम अली बिन मुहम्मद अल-हब्शी
१७. मौलिदुल ग़रबि	शैख़ मुहम्मद अल-ग़रब
१८. मौलदुन्नबी स.	शैख़ इब्ने अहमद अल-अद्वी (१२०१)
१९. अश्शममातुल अंबरियह....	नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली (ग़ैर मुक़ल्लिद)
२०. तहरीरूल कलाम....	इमाम इब्ने हजर मक्की शाफई (९७४)
२१. तुह्फतुल अख़्यार.....	इमाम इब्ने हजर मक्की शाफई (९७४)
२२. मौलिदुन्नबी स.....	इमाम इब्ने हजर अश्शरबीनी (९७७)
२३. मौलिदुन्नबी स.....	इमाम अब्दुल हादी अलअबयारी (१३०५)
२४. अल-युम्नु वल इस्आद....	इमाम मुहम्मद बिन जअ्फर अलकत्तानी
२५. मौलिदुल किरामि लि मौलिदि....	इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहीम बिन उमर...
२६. अलमौलदुल जिसमानी....	इब्नुश्शैख़ शम्सुद्दीन शैख़ हम्दुल्लाह
२७. अद्दुर्रूल मुनज़्ज़म फिल मौलिद...	इमाम अबुल क़ासिम मुहम्मद बिन उस्मान...
२८. अल्लफ्ज़ुल जमील.....	इमाम अबुल क़ासिम मुहम्मद बिन उस्मान...
२९. अन्नफ्ख़तुल अंबरियह....	इमाम मज़्दुद्दीन मुहम्मद बिन याकूब...
३०. मिफ्ताहुस्सुरूरि वल अफकार....	इमाम अबुल हसन अहमद बिन अब्दुल्लाह...

मक्तबा जामिअतुल मलिक सऊद ''क़िस्मुल मख़्तूतात'' में मीलादुन्नबी के मौज़ूअ् पर दर्जनों मख़्तूतात मौजूद हैं जिनमें एक मख़्तूतह हुज़ूर ग़ौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु की तरफ भी मन्सूब है। (हवाला : www.al-mostafa.com)

शुबह नं. ११ : १२ रबीउल अव्वल यौमे विलादत नहीं है बल्के यौमे वफात है। इसलिए इस दिन ख़ुशी की बजाए ग़म मनाना चाहिए।

शुबह का इज़ाला : १२ रबीउल अव्वल के यौमे विलादत पर हदीस

हज़रत इमाम अबू बक्र बिन अबी शैबह रिवायत करते हैं :

عن عقان عن سعيد بن مينار عن جابر و ابن عباس انهما قال ولد رسول الله ﷺ عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاوّل

तर्जमा : अक़्क़ान से रिवायत है वो सईद बिन मीनार से रिवायत फरमाते हैं और वो हज़रत जाबिर और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रावी के ये दोनों (हज़रत जाबिर और इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुम) फरमाते हैं के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादते बा सआदत आमुल फील में पीर के रोज़ बारह रबीउल अव्वल को हुई।

इस रिवायत को नक़ल करने के बाद इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं :

وهذا هو المشهور عند الجمهور

तर्जमा : जम्हूर के नज़दीक यही क़ौल (१२ रबीउल अव्वल) मश्हूर है।
(अस्सीरतुन्नबविय्यह लिइब्नी कसीर, जि.१, स.१९९, अलबिदायह वन-निहायह, जि.२, स.२६०)

AnZ XrZr d eaB ‘gmBb H$ hb H$ {bE
amãVm H$a

B-‘b: jamiaashrafiyapune.@gmail.com

www.jamiaashrafiyapune.com

१२ रबीउल अव्वल को यौमे विलादत लिखने वाले अइम्मा किराम के अस्माए गिरामी

१. इमाम इब्ने जरीर तबरी (तारीख़े तबरी, जि.२, स.१२५)

२. इमाम मुहम्मद बिन इस्हाक़, इमाम इब्ने हिशाम
(अस्सीरतुन्नबविय्यह लि इब्नि हिशाम, जि.१, स.१८१)

३. इमाम इब्नुल जौज़ी (अल वफा, जि. १, स.९०)

४. अल्लामा इब्ने ख़लदून (तारीख़ इब्ने ख़लदून, जि.२, स.७१०)

५. इमाम अबुल फतह् अश्शाफई (उयूनुल असर, जि.१, स.२६)

६. इमाम इब्ने हजर मक्की (अन्नेअ्मतुल कुबरा..... स.२)

७. इमामे हाकिम (मुस्तदरक लिलहाकिम, जि.२, स.६०३)

८. इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी (सीरते हलबियह, जि.१, स.५७)

९. इमाम बैहक़ी (दलाइलुन्नबुव्वह इमाम बैहक़ी १/७४)

१०. इमाम इब्ने हिब्बान (अस्सीरतुन्नबीविय्यह..... ४/३३)

११. इमाम सख़ावी (अत्तुह्फतुल्लतीफह, जि. १, स.७)

१२. इमाम अबुल हसन मावरदी (अअ्लामुन्नबुव्वह,जि.१, स.२७०)

१३. मुल्ला मुईन वाइज़ काश्फी (मआरिजुन्नबुव्वहः जि.१, स.३७ बाब ३)

१४. अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी (शवाहिदुन्नबुव्वह स.२२)

१५. मुहद्दिस सय्यद जमाल हुसैनी (रिसालत मआब तर्जमा रौज़ा... स.९)

१६. इमाम मअ्शर नजीअ् (अस्सीरतुन्नबविय्यह, इमाम ज़हबी, १/७)

१७. मुल्ला अली क़ारी (अल-मौरिर्दुवी, स. ९८)

१८. शारेह बुख़ारी इमाम क़ुस्तुल्लानी (अल-मवाहिबुल्लदुन्नियह, जि.१, १४२)

१९. इमाम ज़ुरक़ानी (ज़रक़ानी अलल् मवाहिब, जि.१, १३२)

२०. इमाम हुसैन बिन मुहम्मद दयार.. (तारीख़ुल ख़मीस, जि.१, स.१९६)

२१. शैख़ अब्दुल हक़्क़ मुहद्दिसे देह... (मा सबत बिस्सुन्नह : १४९)

२२. इमाम यूसुफ नब्हानी (हुज्जतुल्लाहि अलल् आलमीन : स.१७२)

ग़ैर मुक़ल्लिदीन और देवबंदी उलमा के अक़्वाल

२३. नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली	(अश्शमामतुल अंबरियह.... स.७)
२४. सय्यद सुलैमान नद्वी	(रहमते आलम स. : १३)
२५. शैख़ अब्दुस्सत्तार	(किरामे मुहम्मदी : स.२७०)
२६. शैख़ सादिक़ सियालकोटी	(सय्यिदुल कौनेन : स.५९-६०)
२७. अबुल क़ासिम मुहम्मद रफीक़...	(सीरते कुबरा : जि.१, स.२२४)
२८. मुफ्ती मुहम्मद शफीअ् (कराची)	(सीरते ख़ातमुल अंबिया... स.२०)
२९. शैख़ अशरफ अली थान्वी	(इरशादुल इबादि फी ईदिल मीलाद : स.५)
३०. शैख़ अस्लम क़ास्मी	(सीरते पाक : स.२२)
३१. वली राज़ी	(हादी-ए-आलम : स.४३)
३२. सय्यद अबुल अअ्ला मौदूदी	(सीरते सरवरे आलम : जि.१, स.९३)
३३. सय्यद मुहम्मद मियाँ देबंवदी	(सीरते मुबारकह : जि.१, स.६)
३४. सय्यद अबुल हसन अली नद्वी	(क़ससुन्नबीय्यीन : जि.५, स.४८)
३५. सर सय्यद अहमद ख़ान	(सीरते मुहम्मदी : स.२१७)
३६. क़ारी मुहम्मद तय्यिब	(ख़ुत्बाते हकीमुल इस्लाम : २/१४)
३७. मुफ्ती ज़ैनुद्दीन सज्जाद	(तारीख़े मिल्लत : स. ३४)
३८. इह्तिशामुल हक़ थान्वी	(माहनामा महफिल लाहौर, मार्च १९८१/६५)
३९. ख़्वाजा मुहम्मद इस्लाम	(महबूब के हुस्न व जमाल का मंज़र : स.११)
४०. मुफ्ती एज़ाज़ अली देवबंदी	(तुह्तुल अरब :१४१)
४१. तालिब हाश्मी	(हमारे रसूले पाक : स.४३)
४२. अहमद अली लाहौरी	(हफ्त रोज़ा ख़ुद्दामुद्दीन-१८ मार्च १९७७/७)
४३. अब्दुलमाजिद दरयाबादी	(रसूल नंबरःमाहनामा ख़ातून, पाकिस्तान/३६)
४४. इनयात अली शाह	(बाग़े जन्नत : २८९)
४५. क़ाज़ी नवाब अली	(रसूले अकरम : स.२-२२)
४६. अब्दुल मअ्बूद देवंबदी	(तारीख़ुल मक्कतिल मुकर्रमह : स.२११)

तारीख़े विसाल से मुतअल्लिक़ अक़्वाल

१. रबीउल अव्वल

१. हज़रत उरवाह बिन ज़ुबैर २. हज़रत मूसा बिन उक़्बा
३. इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी ४. इमाम अबू नुअैम अलफ़ुज़ैल बिन दुकैन
५. शिब्ली नोअ्मानी

२. रबीउल अव्वल

१. हज़रत अब्दुल्लह इब्ने अब्बास २. हज़रत अनस बिन मालिक
३. हज़रत सईद बिन जुबैर (ताबई)
४. इमाम सुलैमान बिन तरख़ान अत-तीमी
५. हज़रत अन्तरह बिन अब्दुर्रहमान अश-शैबानी
६. हज़रत सअ्द बिन इब्राहीम अज़-ज़ुहरी
७. हज़रत मुहम्मद बिन क़ैस अलमदनी
८. इमाम मुहम्मद बाक़िर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हुम

इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी ने मुफस्सल बहस करके २ रबीउल अव्वल को तरजीह दी है और १२ रबीउल अव्वल के यौमे विसाल होने को अक़्ल व नक़ल के ख़िलाफ साबित करके उसे रावी का वहम और ग़लत क़रार दिया है। (फत्हुल बारी, जि.८, स.१३०)

इसके इलावा اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (माइदहः३) इस आयत के तहत जमहूर मुफस्सीरीन का इसी क़ौल पर इज्माअ् है।

● १२ रबीउल अव्वल अक्सर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक यौमे विसाल नहीं। अगर ये आपका यौमे विसाल है तब भी इसमें ख़ुशी मनाने पर कोई एअ्तेराज़ नहीं होना चाहिए क्युंके अहादीस से साबित है के हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत व विसाल दोनों उम्मत के हक़ में बाइसे ख़ैर है।

حیاتی خیر لکم تحدثون ویحدث لکم فاذا انامت کانت وفاتی خیر الکم
تعرض علي اعمالکم فان رأیت خیراً حمدت الله تعالیٰ وان رأیت شراً استغفرت لکم.

तर्जमा : मेरी हयात तुम्हारे लिए बेहतर है तुम मुझ से गुफ्तगू का शर्फ पाते हो और तुम्हें अहादीस बयान की जाती हैं और मेरा विसाल तुम्हारे हक़ में बेहतर है। जब मेरा विसाल हो जाएगा तुम्हारे अअ्माल मुझ पर पेश किए जाएँगे। अगर मैं भलाई देखूँगा तो अल्लाह की हम्द करूँगा और अगर शर देखूँगा तो तुम्हारे लिए

इस्तेग़फार करूँगा। (अहक़ाक़े हक़, स.६७, बहवाला मुस्नद बज़्ज़ार, जि.५, ३०८)

हाफिज़ इराक़ी ने ''तरहुस्सतसरीब'' में इसकी सनद को जय्यिद कहा है। (हाशिया अहक़ाक़े हक़ स.६७)

ग़म ना करने से मुतअल्लिक़ अक़्वाल

● अहादीस में नौहा, मातम और सोग से मना किया गया है। हदीस शरीफ में है

اُمرنا ان لاّ نحدّ علیٰ میّت فوق ثلاث اِلّا لزوج

तर्जमा : हमें हुक्म दिया गया है किसी वफात याफ्ता पर तीन दिन के बाद ग़म ना मनाएँ, मगर शौहर पर। (मुअत्ता इमाम मालिक, स.२१९)

इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं : रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की विलादत पर ख़ुशी का इज़्हार किया जाए ना के विसाल का ग़म। (अल-हावी लिल्फतावा, जि.१, स.१९३)

मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी : अहले हरमैन का अमल बयान करते हुए लिखते हैं के उलमा ने लिखा है के इस महफिल में ज़िक्रे वफात ना करना चाहिए इसलिए के ये महफिल वास्ते ख़ुशी मीलाद शरीफ के मुनअक़िद होती है। ज़िक्र ग़म जानकाह इस महफिल में नाज़ेबा है हरमैन शरीफैन में हरगिज़ आदत ज़िक्रे क़िस्सा-ए-वफात की नहीं। (तवारीख़ हबीबे इलाह, स.१५)

● जुमा का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यौमे पैदाइश और यौमे विसाल होने के बावजूद ईद का दिन है।

● **हदीस :** ان من افضل ایّامکم یوم الجمعة فیه خلق آدم و فیه قبض

तर्जमा : तुम्हारे दिनों में अफ्ज़ल दिन जुमा का दिन है। इसी रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी रोज़ आप ने विसाल फरमाया। (नसाई १/१५०)

● **हदीस :** انَّ هٰذا یوم عید

तर्जमा : ये (जुमा) ईद का दिन है। (सुनन इब्ने माजह, जि.१, स.७८)

ज़िंदा नबी का ग़म क्युँ मनाएँ?

१. ان اللّٰہ حرّم علی الارض ا ن تأکل اجساد الانبیاء فنبیّ اللّٰہ حي یرزق.

तर्जमा : अल्लाह तआला ने ज़मीन के लिए अंबियाए किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। पस अल्लाह के नबी ज़िंदा होते हैं और रिज़्क़ दिए जाते हैं। (इब्ने माजह हदीस नं. १६३७)

२. मुल्ला अली क़ारी फरमाते हैं :

لیس ھناک موت ولا فوت بل انتقال من حال الی حال

तर्जमा : वहाँ ना मौत है और ना वफात बल्के एक हालत से दूसरी हालत की तरफ मुन्तक़िल होना है। (शर्‌हुश्शिफा)

३. ग़म करने का मश्वरा देने वालों के मोअ्तमद अलैह शैख़ इब्ने तैमिया लिखते हैं :

لیس من دین الاسلام احیاء ذکری المصائب.

तर्जमा : मुसीबतों की यादगार मनाना दीन-ए-इस्लाम से नहीं। (इक़्तेज़ाउस्सिरातिल मुस्तक़ीम, २४७)

शुबह नं. १२ : ईदें तो सिर्फ दो ही हैं फिर यौमे विलादते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ईद क़रार देना कैसे दुरूस्त हो सकता है?

शुबह का इज़ाला : बेशक शरई ईदें तो सिर्फ दो ही हैं लेकिन ईदुल फित्र और ईदुल अज़्हा के इलावा दर्जे ज़ेल अय्याम को भी ईद से तअ्बीर किया गया है।

१. यौमे जुम्अमा : ان ھذا یوم عید.

यानी ये (जुमा) ईद का दिन है। (सुनन इब्ने माजह, १/७८)

२. यौमे अरफह : الیوم اکملت لکم دینکم (माइदह आयत नं. ३)

के नुज़ूल से मुतअल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया : فانّھا نزلت فی یوم عیدین فی یوم جمعة ویوم عرفة

तर्जमा : ये आयत उस दिन नाज़िल हुई जिस दिन दो ईदें जमा थीं यौमे जुम्आ और यौमे अरफह। (तिर्मीज़ी : ३०४४)

इस हदीस को शैख़ अलबानी ने ''सहीहुल इस्नाद'' कहा है।

३. अय्यामे तश्रीक़ : हज़रत उक़्बह बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया ''तश्रीक़ के दिन हमारे लिए ईद है।'' (मुस्तद्रक जि.१, स.६००)

४. यौमे नुज़ूले माइदह : सूरे माइदह आयत नं. ११४ में है :

رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا

तर्जमा : ऐ हमारे रब हम पर आस्मान से ख़्वान (नेअ्मत) नाज़िल फरमा दे के (उसके उतरने का दिन) हमारे लिए ईद हो जाए, हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी।

इमाम जलालुद्दीन सुयूती शैख़ अबुत्तय्यिब मुहम्मद इब्राहीम अलबसती (६९५ हि.) के हवाले से लिखते हैं : वो १२ रबीउल अव्वल को एक मदरसे के पास से गुज़रे तो वहाँ के ज़िम्मेदार को मुख़ातब करके फरमाया। ऐ फक़ीह! आज ख़ुशी का दिन है लेहाज़ा बच्चों को छुट्टी दे दो। (अलहावी लिल्फातवा, जि.१, स.१९७)

शारेह बुख़ारी इमाम कुस्तुलानी (९२३ हि.) लिखते हैं : अल्लाह तआला हर उस शख़्स को सलामत रखे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मीलाद के महीने की रातों को ईद मनाकर हर उस शख़्स पर शिद्दत की जिसके दिल में (मुख़ालफत) का मर्ज़ है। (अल-मवाहिबुल्लदुन्नियह, जि.१, स.१४८)

शुबह नं. १३ : बाज़ हज़रात जवाज़े मीलाद के क़ाइल अस्लाफ के बारे ये हदीस पेश करते हैं के आलिम की लग़ज़िश इस्लाम को ढा देती है।

शुबह का इज़ाला : अगर जवाज़े मीलाद के क़ाइलीन उलमा एक दो होते तो ये बात कही जा सकती थी के उन से लग़ज़िश हो गई लेकिन जवाज़े मीलाद का फत्वा देने वाले सबके सब उलमा ऐसे हैं जिन पर उलूमे दीनीया में एअ्तेबार किया जाता है बल्के बुख़ारी शरीफ के चारों मशहूर शारिहीन इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी (साहिबे फत्हुल बारी), इमाम इब्ने रजब हंबली (साहिबे फत्हुल बारी), इमाम बद्रुद्दीन अैनी (साहिबे उम्दतुल क़ारी), इमाम कुस्तुलानी (साहिबे इरशादुस्सारी) जिनकी शुरूहाते बुख़ारी पढे बग़ैर आज के ज़माने में फहमे बुख़ारी का दअ्वा किया ही नहीं जा सकता वो सबके सब जवाज़े मीलाद के क़ाइल थे। जवाज़ का फत्वा देने वाले उलमा व अस्लाफ की तवील फेहरिस्त है अगर ये

अमल बिद्अते सय्यिअह होता तो मना करने वालों की भी तवील फेहरिस्त होती।

हदीस शरीफ में है : ان الله لا يجمع امتى علىٰ ضلالة

तर्जमा : हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह तआला मेरी उम्मत को गुमराही में जमा नहीं करेगा। (तिर्मीज़ी, २०६७)

● ग़ैर मुक़ल्लिद आलिम शैख़ अन्सारी ने शैख़ मुहम्मद दिन मूसली का ''अस्लाफ के क़ौल के मुख़ालिफ नए अक़्वाल की तरदीद'' में ये क़ौल ज़िक्र किया है।

'''या वो नया क़ौल ग़लत या सल्फ का क़ौल ग़लत होगा, इसमें कोई शुबह नहीं के हर आक़िल उस नए क़ौल को ही ग़लत कहेगा, चूँके उसे ग़लत कहना अस्लाफ को ग़लत कहने से बेहतर है।' (अलक़ौलुल फस्ल, स.७७)

● हमारा भी यही कहना है के अस्लाफ, मुहद्दिसीन को ग़लत कहने की बजाये आज कल के वज़ीफा ख़ार मौलवियों को ग़लत कहना ही बेहतर है।

ईद-ए-मीलादुन्नबी इस तरह मनाएँ

१ रबीउलअव्वल से १२ रबीउलव्वल के दौरान

१. कुरआन करीम के १२ पारे या १२ सूरतें या १२ रूकूअ् की तिलावत करें और तर्जमा व तफ्सीर के ज़रीए उनके मअ्ना समझने की कोशिश करें।

२. इन १२ दिनों में जितना ज़्यादा हो सके दरूदे पाक का विर्द करे।

३. पीर के दिन शुक्राने का नफ्ली रोज़ा रखें, पीर के रोज़े के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा गया तो आप ने फरमाया के ''मैं इस दिन रोज़ा रखता हूँ क्युंके इसी दिन मैं पैदा हुवा था और इसीदिन मुझ पर पहली वही नाज़िल हुई थी'' (मुस्लिम शरीफ)

४.अपनी हैसियत के मुताबिक मिस्कीनों और फक़ीरों का खाना खिलाएँ।

५. किसी नादार, बेसहारा बेवा के लिए कपडों का या दूसरी ज़रूरियाते ज़िंदगी का इन्तेज़ाम करें।

६. किसी ग़रीब या यतीम बच्चे के लिए किताबों या फीस का इन्तेज़ाम करें।

७. किसी नादार मरीज़ की दवा का इन्तेज़ाम करें या कम से कम अपने मुहल्ले

या रिश्तदोरों में किसी मरीज़ की इयादत को जाएँ। (हो सके तो अपने इलाक़े में मुफ्त हॅल्थ कॅम्प का एहतेमाम करें।)

८. अगर किसी ज़रूरतमंद ने हम से क़र्ज़ लिया हो तो महज़ अल्लाह की ख़ातिर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यौमे विलादत की ख़ुशी में अपनी इस्तेताअत और गुन्जाइश के मुताबिक या तो पूरा क़र्ज़ पूरा मुआफ कर दें या उसमें से कुछ रक़म मुआफ कर दें या फिर कम से कम क़र्ज़ की वापसी की मुद्दत बढा दें।

९. अपने ग़ैर मुस्लिम दोस्तों से मुलाक़ात करें उनको कोई तोहफा दें और साथ में इस्लाम के तआरूफ या सीरते पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुतअल्लिक़ कोई किताब उनको पेश करें, या कम से कम ज़बानी इसलाम की तअ्लीमाते और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में उनको बताएँ।

१०. अपने घर, मुहल्ले या इलाक़े में पेड लगाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया मुसलमान जब कोई दरख़्त लगाता है तो जब तक उस दरख़्त का फल खाया जाएगा और लोग उसके साए में बैठेंगे उस वक्त तक दरख़्त लगाने वाले के लिए सदक़ा-ए-जारियह होगा। और पेड लगाना आज माहोलियात की हिफाज़त के लिए मुफीद है। (बशुक्रीया ख़ान्क़ाहे आलिया क़ादरिया, बदायूं शरीफ)

जुलूस निकालने वाली तंज़ीमों के ज़िम्मेदारान व शुरकाए जुलूस से गुज़ारिशात व हिदायात

१. रास्ते चलते हुए नज़रें नीचे करें और रास्ते के आदाब का ख़याल रखें।

२. जहाँ तक हो सके इस्लामी लिबास और टोपी पहनें।

३. ग़लत नअ्रों और नअ्रे के ग़लत अंदाज़ से इज्तेनाब करें। पटाख़े बाज़ी से मुकम्मल इज्तेनाब करें।

४. फिल्मी गाने, बाजों और म्यूज़िक से बचें।

५. डेकोरेशन पर ख़र्च के साथ साथ अपने मुहल्ले के यतीमों, बेवाओं और

ज़रूरतमंद तलबा और मरीज़ों पर ख़र्च की तरफ तवज्जह करें।

६. दौराने जुलूस सख़्ती से नमाज़ों की पाबंदी करें।

७. ख़वातीन को शिरकत से बाज़ रखें।

८. इस कारे ख़ैर के लिए ग़ैरों से चंदा ना लें।

९. जुलूस में चलते वक्त नअ्त व दरूद का विर्द करें।

१०. जुलूस जल्द से जल्द ख़त्म करते हुए इख़्तेतामी जल्से में शिरकत की कोशिश करें।

११. जुलूस को तरबियती और इस्लाही बनाने की ख़ातिर इस्लाही और सीरत पर मब्नी ''प्ले कार्डस्'' का इस्तेमाल करें।

१२. अपने साथ वालों पर निगरानी रखते हुए जुलूस के वक़ार को आख़िर तक क़ाइम रखने की कोशिश करें।

☆☆☆

पूने शहर में

اُردو، عربی، فارسی، ہندی، مراٹھی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں

کتابت وطباعت کے لئے قابل وبا اعتماد مرکز

Color Graphics

رابطہ:

عمیر باغبان 9021190822

اظہر مرزا 7387987106

گھور پڑے پیٹھ، پونے ۔۴۲

E-Mail: umairbagwan@gmail.com